लोक योजना अभियान

सबकी योजना
सबका विकास

02 अक्तूबर 2019

\-

31 दिसंबर 2019

Ministry of Panchayati Raj &
Ministry of Rural Development

विषय-सूची

सचिव (पंचायती राज), भारत सरकार का संदेश....4

सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार का संदेश....6

अध्याय 1: प्रस्तावना....8

1.1 लोक योजना अभियान (पीपीसी) क्या है 8

1.2 पीपीसी 2019 के उद्देश्य 8

1.3 XI वीं अनुसूची के अनुसार शामिल किए जाने वाले विषय....9

1.4 भूमिकाएं और दायित्व....9

1.4.1 केंद्रीय मंत्रालय 9

1.4.2 राज्य विभाग 10

1.4.3 नोडल अधिकारी 10

1.4.4 सुविधाकर्ताओं 11

1.4.5 शीर्ष कार्यकर्ता....12

1.5 केंद्रीय स्तर पर इस अभियान की तैयारी की समयसीमा....12

1.6 राज्य स्तर पर इस अभियान की तैयारी की समयसीमा 12

1.7 इस अभियान की समयसीमा के अनुरूप जीपीडीपी कैलेंडर की रूपरेखा तैयार करना 13

1.8 अभियान की रिपोर्टिंग और प्रगति 13

अध्याय 2: क्षमता विकास....16

2.1 सुविधाकर्ताओं का चयन 16

2.1 सुविधाकर्ताओं की भूमिका....17

2.2 स्टेक-होल्डरों का क्षमता विकास 17

अध्याय 3: जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभा....19

3.1 ग्राम सभा कीकार्यसूची....**19**

3.2 **ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए किए जाने वाले उपाय**....19

3.2.1 औपचारिक अधिसूचना....20

3.2.2 सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना 21

3.2.3 ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी 21
3.2.4 ग्राम सभा के लिए कोरम....................22
3.2.5 ग्राम सभा में विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची / मुद्दे 22
3.2.6 प्रभावी भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक 22
3.3 विशेष ग्राम सभा....................23
अध्याय 4 : ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी....................24
4.1 ग्राम पंचायत आयोजना सुविधा टीम का गठन 24
4.1 माहौल तैयार करना 25
4.3 जागरूकता बढ़ाना 26
4.4 एकजुटता....................26
4.5 प्रमुख क्षेत्र 26
4.6 आंकड़ों का एकत्रीकरण – स्थिति विश्लेषण 29
4.7 विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) 30
4.8 दूरदर्शी अभ्यास....................30
4.9 आवश्यकताओं की प्राथमिकता 31
4.10 संसाधन भंडार....................31
4.11 विशेष ग्राम सभा का आयोजन....................32
4.12 जीपीडीपी प्रारूप की तैयारी 32
4.13 अंतिम जीपीडीपी 32
अध्याय 5: **परियोजना निगरानी एकक (पीएमयू) की तुलना में अभियान पोर्टल**....................33
5.1 प्राथमिकता आधार पर जीपीडीपी तैयार करने के लिए जीपी की सक्रियता 33
5.2 प्लान प्लस/पीआरआईए सॉफ्ट पर जीपीडीपी अपलोड करना....................34
5.3 पीएफएमएस सहित जीपी लिंकेज....................34
अध्याय 6: अनुमोदित योजना का प्रकाशन....................34
अध्याय 7: **राष्ट्रीय स्तरीय मानिटर** (**एनएलएम**)....................35

अध्याय 8: **आरजीएसए और महत्वाकांक्षी जिले**.....35

अध्याय 9: **ग्रामीण विकास मंत्रालय और सेवा प्रदायगी कार्यक्रम**.....36

1. ग्राम निर्धनता उन्मूलन योजना : जीपीडीपी के साथ समेकन.....36

2. मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, 2019: दिशा-निर्देश.....43

अध्याय 10: **भारत सरकार की पंचायतें और अभियान**.....74

1. स्वच्छ भारत मिशन.....74

2. एकल उपयोग प्लास्टिक के संबंध में अभियान.....78

3. फिट इंडिया मूवमेंट अभियान.....79

अनुबंध

अनुबंध 1क: ग्राम सभा आयोजना के कैलेण्डर का नमूना.....**83**

अनुबंध 1ख: ग्राम पंचायत स्तरीय चर्चा संबंधी नमूना.....84

अनुबंध 1ग: पीपीसी 2019 के लिए कार्यकलाप समयसीमा.....85

अनुबंध 2: जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु मॉडल समय सूची.....86

अनुबंध 3: ग्राम सभा के दौरान शीर्ष कार्यकर्ता/संबंधित विभागों द्वारा मॉडल प्रस्तुतीकरण.....88

अनुबंध 4: गरीबी उपशमन योजना के संबंध में सुविधाकर्ताओं की मॉडल प्रस्तुती: 2020-21.....89

अनुबंध 5: जन सूचना बोर्ड का व्याख्यात्मक डिजाईन.....93

अनुबंध 6: राष्ट्र स्तरीय मानिटररिंग (एनएलएम) पर संक्षिप्त रिपोर्ट- 2018.....94

अनुबंध 7: जीपीडीपी एवं लाईन मंत्रालय की जिम्मेदारी मैट्रिक्स.....99

अनुबंध 8: आकांक्षी जिले एवं उनकी रैंकिंग.....106

संक्षिप्त रूप एवं संक्षिप्ति.....108

सचिव (पंचायती राज), भारत सरकार का संदेश

संदेश

पिछले वर्ष "सबकी योजना सबका विकास" शीर्षक के अंतर्गत आयोजित जन योजना अभियान (पीपीसी) ने समन्वित, उद्देश्यपरक कार्यों के नए मानक निर्धारित किए और इसके लाभ सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। हमारी लगभग 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों (जीपी) की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) सम्पूरित कर अपलोड की गई, पूरे देश में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया और ग्राम पंचायतों को प्रत्यायोजित किए गए 29 विषयों में से अधिकांश विषय जीपीडीपी की विषय-वस्तु में शामिल किए गए। लोगों द्वारा गुंजाइश और स्वामित्व की व्यापकता ही जा पीडीपी का सार है। इन दोनों ही संदर्भों में, पीपीसी के भरपूर लाभ प्राप्त हुए।

वर्ष 2020-2021 की जीपीडीपी तैयार करने के लिए अक्तूबर-दिसंबर, 2019 से दोबारा पीपीसी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रत्यायोजित किए गए 29 विषयों से संबंधित सभी 18 विभागों/मंत्रालयों तक पहुंचने के प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हालांकि ग्राम पंचायत-वार संसाधनों का आवंटन करने में सभी विभागों को काफी मुश्किल होती है । लेकिन मुझे प्लान प्लस इंटरफेस में कार्य की मदों को शामिल किए जाने के कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अनेक संबंधित मंत्रालयों ने पीपीसी में नौकरी में शामिल किए गए विषय में राज्य सरकारों में अपने समकक्ष विभागों को पत्र पहले ही लिख दिए गए हैं।

पीपीसी के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलापों के सार के रूप में तैयार किए गए इस दस्तावेज में फिर भी कुछ सहभागी विभागों/मंत्रालयों के सुझावों को निरंतर शामिल नहीं किया जा सका है। मेरा अनुरोध है कि इन विभागों के अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस दस्तावेज में शामिल अनुदेशों को निरंतर अद्यतन किया जाए और इन्हें अधिक समावेशी बनाने के लिए इनका विस्तार किया जाए, ताकि यह कमी सभी क्रियाकलापों को शामिल करते हुए सर्वाधिक जानकारियों पर आधारित योजना तैयार करने के कार्य में ग्राम पंचायत के लिए बाधा न बने।

ग्रामीण जनजीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आयोजना के दायरे से बाहर हैं क्योंकि या तो उनकी कोई लागत नहीं होती या फिर यह पता नहीं होता कि उनका वित्तपोषण कैसे किया जाए। जिस प्लान प्लस पोर्टल पर जीपीडीपी को अपलोड किया जाना आवश्यक है, उस पोर्टल में शून्य लागत वाले क्रियाकलापों को शामिल करने का प्रावधान है। अत: उद्योग जगत, क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र

के रोल मॉडलों और प्रेरणादायक वक्ताओं के साथ विचार-विमर्शों, विशेष रूप से आयोजित चर्चाओं अथवा विचार-विमर्शों के लिए युवाओं और वृद्धों को साथ लाने, स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाकलापों और खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन, विकलांगों की भूमिका को परिभाषित करने जैसे विशेष आयोजनों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने की योजना बनाना अब ग्राम पंचायतों के लिए संभव हैं।

यह उम्मीद है कि हम इस वर्ष से जीपीडीपी में नियोजित होने के इस योजना पहलू को देखेंगे। ऐसी उम्मीद है कि जीपीडीपी स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करेगी। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाना, जिस पर जल शक्ति अभियान के माध्यम से जोर दिया गया है, यह समय की मांग है।

जैसा कि आप जानते हैं कि हमने भी राज्य सरकारों के पंचायती राज विभागों को ग्राम पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचित पंच/वार्ड सदस्य को एक विकासात्मक क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई आदि का आबंटन करने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान को निर्देशित करने की सलाह दी है, ताकि समय के साथ वह उस क्षेत्र में विशेषज्ञाता हासिल कर सके और केन्द्रीय बिंदु बन सके और साथ ही उस क्षेत्र में विकासात्मक प्रयासों के प्रति उत्साही बन सके। इसलिए 2020-21 के लिए पीपीसी को अपने-अपने निर्वाचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाने में इन निर्वाचित पंच/वार्ड सदस्यों को पूरी तरह से शामिल करना चाहिए ।

"एक पंचायत - एक योजना" के विचार की पूर्ति में अभी भी कुछ समय है। मैं आशा करता हूं कि पीपीसी का समापन होने पर हम इस लक्ष्य की दिशा में और आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं!

ह/-

(राहुल भटनागर)

सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार का संदेश **26 अगस्त, 2019**

संदेश

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय हमने ग्राम स्वराज की संकल्पना पर विशेष ध्यान देते हुए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर जोर दिया था। जब हमारा संविधान बनाया गया था तब संविधान निर्माताओं ने विकेंद्रीकृत विकास पर विशेष जोर दिया था। संविधान में राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अध्याय IV में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को और अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन किए जाने के परिणामस्वरूप अधिकारों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। अत: ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ताकि वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके।

कई सरकारी विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते है लेकिन वे पृथक रूप से एकांत में काम करते है। उनमें तालमेल का अभाव है और कई बार कार्यों एवं प्रयासों की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली मनरेगा, एनआरएलएम, एसबीएम, आईसीडीएस इत्यादि जैसी केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के दिशा-निर्देशों में ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं तैयार किए जाने पर स्पष्ट जोर दिया गया है। चूंकि जीपीडीपी समेकित योजना दस्तावेज है, इसलिए इसमें ग्राम पंचायत के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल किया जाना चाहिए। लाईन विभागों की श्रम बजट सहित सभी योजनाएं जीपीडीपी पर आधारित होनी चाहिए, हालांकि अनुमोदित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन लाईन विभागों द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में स्व-सहायता समूहों और उनके संघों जैसी गरीबों की संस्थाओं की अहम भूमिका है। एनआरएलएम ढांचे में सूचीबद्ध एसएचजी नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के अन्य मंचों में सक्रिय भागीदारी करने, सामुदायिक निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाएं उपलब्ध कराने और विकास संबंधी कार्यो एवं आयोजना कार्यों में ग्राम पंचायतों की सहायता करने जैसे कार्य शामिल हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्व-सहायता समूहों को भागीदारीपूर्ण आयोजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

स्थानीय लोकतंत्र और जन-केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर पूरे देश में जीपीडीपी की तैयारी के लिए 2 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक (सबकी योजना सबका विकास) जन योजना अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीपीडीपी तैयार करने हेतु कई क्रियाकलाप किए गए। मैंने इस प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा और इसके परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं। जमीनी स्तर पर ग्राम स्वराज लाने के उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ **जन योजना अभियान, 2 अक्तूबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक** चलाया जा रहा है।

आशा है कि इस वर्ष के पीपीसी की गति पिछले वर्ष चलाए गए पीपीसी से भी अधिक रहेगी और हम सब इस बात का संकल्प लेते हैं कि इस विषय में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

ह/-

(अमरजीत सिंहा)

अध्याय 1: प्रस्तावना

ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। जीपीडीपी की आयोजना प्रक्रिया व्यापक और सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं से पूर्ण अभिसरण को शामिल किया गया हो। ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन में पंचायतों को अहम भूमिका निभानी होती है।

1.1 लोक योजना अभियान (पीपीसी) क्या है

लोक योजना अभियान, जीपीडीपी की अभियान मोड में तैयारी सुनिश्चित करने की प्रभावी कार्यनीति है। यह अभियान '**सबकी योजना सबका विकास**' के रूप में **2 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2019** तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21 की जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम सभा की व्यवस्थित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

1.2 पीपीसी 2019 के उद्देश्य

पीपीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- लगभग **31** लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत 5.25 करोड़ स्व-सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना ।
- **11**वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों में वर्ष 2019-20 में हुई प्रगति का साक्ष्य आधारित निर्धारण और 2020-21 के प्रस्ताव।
- जन सूचना अभियान - ग्राम पंचायत कार्यालय में और ग्राम संवाद ऐप पर सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों**,** फिटनेस इत्यादि के विषय में जन सामान्य के लिए पूर्ण जानकारियां।
- **11**वीं अनुसूची के सभी 29 क्षेत्रों के शीर्ष कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों की वास्तविक उपस्थिति और प्रस्तुतीकरण के साथ ग्राम सभा की व्यवस्थित बैठकों का 2 अक्तूबर - 31 दिसंबर, 2019 तक आयोजन।
- व्यावहारिक और सर्वांगीण जीपीडीपी के लिए प्लान प्लस का सुदृढ़ीकरण।

1.3 11वीं अनुसूची के अनुसार शामिल किए जाने वाले विषय

जीपीडीपी की तैयारी में 11वीं अनुसूची में परिभाषित 29 विषय शामिल किए जाएंगे। ये विषय इस प्रकार हैं:

1	कृषि	16	निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
2	भूमि सुधार	17	शिक्षा
3	लघु सिंचाई	18	व्यावसायिक शिक्षा
4	पशुपालन	19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
5	मत्स्य पालन	20	पुस्तकालय
6	सामाजिक वानिकी	21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
7	लघु वन उत्पाद	22	बाजार और मेले
8	लघु उद्योग	23	स्वास्थ्य और स्वच्छता
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग	24	परिवार कल्याण
10	ग्रामीण आवास	25	महिला एवं बाल विकास
11	पेयजल	26	समाज कल्याण
12	ईंधन और चारा	27	कमजोर वर्गों का कल्याण
13	सड़कें	28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
14	ग्रामीण विद्युतीकरण	29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव
15	गैर-परंपरागत ऊर्जा		

1.4 भूमिकाएं और दायित्व

पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय अधिकारियों सहित राज्य विभाग, मिलकर 29 विषयों से जुड़े सभी 16 लाईन मंत्रालयों के सुविधाकर्ता और शीर्ष के कार्यकर्ता पीपीसी को सहयोग करेंगे **(सभी संबंधित मंत्रालयों की भूमिकाओं और दायित्वों का ब्यौरा अनुबंध 9 में दर्शाया गया है)**। इस अभियान की सफलता के लिए उनकी भूमिका और दायित्व इस प्रकार हैं:

1.4.1 केंद्रीय मंत्रालय

केन्द्र स्तर पर पीपीसी के आरंभ और निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय केंद्र बिंदु होगा। यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :

- इस अभियान के प्रभावी आरंभ और निगरानी के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ पत्र व्यवहार करना
- प्लान प्लास, ईएफएमएस/पीएफएमएस/पीआरआईएसॉफ्ट/जियो-टैगिंग को प्री-पॉपुलेट करना
- जीपीडीपी पोर्टल के माध्यम से नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर), सुविधाकर्ताओं इत्यादि की नियुक्ति कराना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- ग्राम सभा बैठकों के लिए तैनाती आदेश जारी करना

1.4.2 राज्य विभाग

राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग (डीओपीआर) पीपीसी का समन्वयन करेगा। पंचायती राज विभाग आगे उल्लिखित कार्यकलापों के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करेगा। पंचायती राज विभाग के दायित्व इस प्रकार होंगे:

- सशक्त समिति का गठन करना
- राज्य स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करना
- राज्य स्तर पर अनुकूल माहौल तैयार करना
- जिला और ब्लॉक स्तरों पर संसाधन, पैकेज और निधियों का प्रवाह, समन्वय व्यवस्थाओं, कार्य में प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहायता के लिए सहायक प्रणालियों की स्थापना करना।
- प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन
- कार्यान्वयन व्यवस्था
- जवाबदेही प्रणालियां

1.4.3 नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाएगी, जिनमें पहले राज्य स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। संबंधित राज्यों की राज्य सरकार में पंचायती राज विभाग इस नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। दूसरे स्तर का नोडल अधिकारी जिला स्तर पर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इन नोडल अधिकारियों के दायित्व और क्रियाकलाप इस प्रकार होंगे:

- ये नोडल अधिकारी जीपीडीपी की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
- सभी स्तरों पर अंतर विभागीय अभिसरण व समन्वय सुनिश्चित करना
- ग्राम पंचायत आयोजना और सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) को सहायता प्रदान करना
- इस अभियान से पहले, इसके दौरान और इसके समापन के पश्चात रिपोर्टें प्रस्तुत करना तथा मानिटरिंग ।

1.4.4 सुविधाकर्ता

जीपीडीपी की तैयारी में सुविधाकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीपीडीपी की तैयारी में समस्त ग्राम स्तरीय समुदायों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन्हें पंचायत स्तर पर समुदायों के साथ सहयोग करना होता है तथा इसी के साथ सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ भी कार्य करना होता है। सुविधाकर्ता की भूमिकाओं और दायित्वों की सूची इस प्रकार है:

- एमए मोबाइल ऐप की सहायता से **मिशन अंत्योदय (एमए)** के अंतर्गत सर्वेक्षण कराना।
- भागीदार मंत्रालयों/विभागों के **शीर्ष कर्मचारियों** के साथ समन्वय करना
- विनिर्दिष्ट तारीख को जीपीडीपी के लिए **विशेष ग्राम सभा** के आयोजन में सहायता करना
- ग्राम सभा के दौरान अजा/अजजा/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/विकलांगों जैसे कमजोर वर्गों सहित **समुदाय संग्रहण को सुनिश्चित करना**
- ग्राम सभा के आयोजन के विषय में रिपोर्ट को पोर्टल पर प्रस्तुत करना
- **जीपीडीपी की तैयारी में** ग्राम सभा की सहायता
- **प्लान प्लस पोर्टल** पर अनुमोदित जीपीडीपी को अपलोड करना

  (ग्राम पंचायत स्तरीय विचार-विमर्श से संबंधित टैम्प्लेट को अनुबंध 1ख में दर्शाया गया है)

1.4.5 शीर्ष के कार्यकर्ता

29 विषयों से संबंधित सभी विभागों से नियुक्त किए जाने वाले शीर्ष कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पीपीसी के अंतर्गत उनके द्वारा निभाए जाने वाले दायित्व इस प्रकार हैं:

- संबंधित विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना और उन आंकड़ों का अद्यतनीकरण करना

- प्रस्तावित क्रियाकलापों की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित निधियों का ब्यौरा दर्शाना , इन आंकड़ों को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया जाता है
- जीएस में विभाग के क्रियाकलापों का संक्षिप्त व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण करना।
- शीर्ष कार्यकर्ता जीपीडीपी के प्रारूप को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विकास संगोष्ठी में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव देंगे।

1.5 केंद्रीय स्तर पर अभियान की तैयारी की समयसीमा

पंचायती राज मंत्रालय, क्रियाकलापों के विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध तरीके से पीपीसी का आरंभ करेगा:

- मंत्रालय से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचना पत्र
- प्लान प्लस, ईएफएमएस/पीएफएमएस/पीआरआईएसॉफ्ट/जियो-टैगिंग को सक्रिय करना
- नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर) की नियुक्ति
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति
- स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की तैयारी
- सुविधाकर्ताओं तथा सभी स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना
- ग्राम सभा बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना
- ग्राम सभा-वार कैलेंडर अपलोड करना
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों को जन सूचना बोर्ड में प्रदर्शित करना
- ग्राम सभा बैठकों के लिए तैनाती आदेश जारी करना

  (कार्यकलाप की समय सीमा अनुबंध **2**ग में दर्शाई गई है)

1.6 राज्य स्तर पर अभियान की तैयारी की समय सीमा

राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग, पीपीसी का समन्वय करेगा। पंचायती राज विभाग समयबद्ध तरीके से नीचे दर्शाए गए क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करेगा :

- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति
- सुविधाकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की तैयारी
- सुविधाकर्ताओं और सभी स्टेक-होल्डरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना
- ग्राम सभा बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना

- ग्राम सभा-वार कैलेंडर अपलोड करना
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों को जन सूचना बोर्ड में प्रदर्शित करना
- ग्राम सभा की बैठकों के लिए तैनाती आदेश जारी करना
- ग्राम सभा की बैठकों के जियो-टैग किए हुए विजुअल अपलोड करना
- प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अनुमोदित योजना को प्रकाशित करना

1.7 अभियान की समय सीमा के अनुरूप जीपीडीपी कैलेंडर तैयार करना

जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत-वार कैलेंडर को जिला/राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कैलेंडर 02 अक्तूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक इस अभियान की समय सीमा के दौरान तैयार किया जाएगा और पंचायती राज मंत्रालय के **जीपीडीपी पोर्टल** पर अपलोड किया जाएगा। जीपीडीपी कैलेंडर की तैयारी संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभागों के शीर्ष कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। चूँकि यह आवश्यक है कि शीर्ष कार्यकर्ता ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों, इसलिए एक दिन में दो से ज्यादा ग्राम सभा बैठकों का आयोजन न करने की सलाह दी गई। तथापि, राज्य / ब्लॉक स्तर पर एक से अधिक ग्राम सभा बैठकों को एक ही तारीख में आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित विभागों के शीर्ष कार्यकर्ता सभी ग्राम सभा बैठकों में उपस्थित हो सकते हों। तत्पश्चात जीपीडीपी को **प्लान प्लस** पर अपलोड करने से पहले अंतिम जीपीडीपी के अनुमोदन के लिए ग्राम सभा की एक और बैठक का आयोजन इस अभियान अवधि में करने की आवश्यकता हो सकती है।

1.8 इस अभियान की रिपोर्टिंग और प्रगति

राष्ट्र-व्यापी अभियान की सफलता प्रभावी संचार प्रणाली पर निर्भर करती है। सभी ओर से प्रभावी सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने इस अभियान की प्रगति की निगरानी हेतु वर्ष 2018 में पोर्टल (www.gpdp.nic.in) शुरू किया है। इस अभियान से पहले, इसके दौरान और इसके समापन के पश्चात विभिन्न क्रियाकलापों का आकलन करने के उद्देश्य से राज्यों को इस पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग फॉर्मेटों में अद्यतन जानकारी प्रदान करनी होती है। सभी राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के प्रधान सचिवों से अनुरोध है कि वे इस अभियान के लिए संबंधित नोडल अधिकारी (एनओ) को तत्काल नियुक्त करें। संबंधित एनओ द्वारा राज्य स्तर पर इस पोर्टल के संचालन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का सृजन केंद्रीय स्तर पर

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सुविधाकर्ता स्तर पर यूजर नेम और पासवर्ड उनसे अगले उच्च स्तर पर राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा सृजित किया जाएगा । इसी प्रकार, संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। संबंधित विभागों के इन राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे शीर्ष के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें और उनके नाम अपलोड करें, जिन्हें विनिर्दिष्ट तारीखों को ग्राम सभा बैठकों के लिए तैनात किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वय तथा विभिन्न राज्यों के साथ प्रभावी संचार भी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एकक (एनपीएमयू) स्थापित करेगा, जो कि तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायक होगा। नीचे दिए गए। स्नैपशॉट में 2019-2020 में किए जाने वाले अभियान क्रियाकलाप शामिल है।

जन योजना अभियान 2019-20 का स्नैपशॉट : क्रियाकलाप
• ग्राम पंचायत का बेसलाईन सर्वेक्षण (मिशनल अंत्योदया) • प्रत्येक ग्राम पंचायत / ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सुविधाकर्ता की नियुक्ति • ग्राम सभा के आयोजन के लिए ग्राम सभावार कैलेण्डर को अंतिम रूप देना • 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के नियुक्त शीर्ष कार्यकर्ताओं को निर्दिष्ट तिथि पर ग्राम सभा बैठको में संरचित प्रस्तुतीकरण के लिए प्रतिनियुक्ति करना • जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजना करना • प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड का प्रदर्शन और पीपीसी अभियार पोर्टल में जिओ टैग फोटोग्राफ को अपलोड करना • ग्राम सभा बैठक में जिओ टैग फोटोग्राफ अपलोडिंग का काम प्रगति पर है • **जीपीडीपी तैयार करना** • **प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अनुमोदित योजना का प्रकाशन**

इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान उनका सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानिटर्स (एनएलएम) भी तैनात किए जाएंगे। इन एनएलएम से पूरे देश में रैंडम आधार पर चयनित कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल करने की अपेक्षा होती है। वे इस अभियान के प्रभाव के विषय में प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे तथा ग्राम सभाओं में शीर्ष कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों की भागीदारी का भी पता लगाएंगे।

टिप्पणी*:* पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मामले में संबंधित राज्यों के पीईएसए अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

अध्याय 2: क्षमता विकास

ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करना ग्राम पंचायतों का संवैधानिक दायित्व है। लोक योजना अभियान (पीपीसी) में मुख्यत: ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी 16 संबंधित विभागों के विकास क्रियाकलापों को शामिल करते हुए व्यापक विकास योजना तैयार करने पर जोर दिया गया है। यह योजना जन समुदाय विशेषकर ग्राम सभा को शामिल करते हुए चलाई जाने वाली सहभागी प्रक्रिया है और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/संबद्ध विभागों की योजनाओं के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त पीपीसी का उद्देश्य पंचायत स्तर पर शासन से संबंधित मुद्दों के समाधान की सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर नागरिक नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इसका समग्र उद्देश्य ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिसमें नागरिक भागीदारीपूर्ण तरीके से विकास की दिशा में कार्य करने में अपने आपको समर्थ पाएं।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल दिशा-निर्देश तैयार करने की पहल शुरू की और इन दिशा-निर्देशों को उन राज्यों को परिचालित किया, जिनमें संविधान का भाग XI लागू है। पंचायती राज मंत्रालय के इन दिशा-निर्देशों के आधार पर सभी राज्यों ने जीपीडीपी के लिए अपने राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश अधिसूचित किए। तभी से राज्य संबंधित राजय दिशा निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार करके उन्हें कार्यान्वित कर रहे थे।

2.1 सुविधाकर्ताओं की भूमिका

- एमए मोबाइल ऐप की सहायता से **मिशन अंत्योदय (एमए)** के अंतर्गत सर्वेक्षण करना।
- सहभागी मंत्रालयों/विभागों के **शीर्ष कर्मचारियों** के साथ समन्वय करना।
- विनिर्दिष्ट तारीख को जीपीडीपी के लिए **विशेष ग्राम सभा** का आयोजन कराना।
- ग्राम सभा की बैठक के लिए अजा/अजजा/ महिलाओं/विकलांगों जैसे कमजोर वर्गों सहित **समुदाय संग्रहण को सुनिश्चित करना।**
- **ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित रिपोर्ट** को पोर्टल पर प्रस्तुत करना।
- **जीपीडीपी की तैयारी** में सहायता करना।

2.1 सुविधाकर्ताओं का चयन

प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के लिए सुविधाकर्ता की नियुक्ति राज्य करेगा। राज्य सुविधाकर्ताओं के रूप में नामांकन के लिए सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी), प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों या कर्मचारियों सहित अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के विषय में विचार कर सकता है। व्यक्तिगत विशेषताओं, जैसे कि सेवामुक्त हो रहे व्यक्तियों या पहले से प्रशिक्षण या क्षमता विकास क्रियाकलाप चला रहे व्यक्तियों पर जोर देने की प्रवृत्ति अपनाई जा सकती है। सुविधाकर्ताओं के चयन में व्यापक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। सुविधाकर्ताओं के चयन के बाद कार्यों का अनुमोदन करना होगा। यह भी आवश्यक है कि चयनित सुविधाकर्ता ग्राम सभा में पुष्टि के लिए विभिन्न मानदंडों के अनुसार अंकों की गणना के लिए एमए फॉर्मेट की सहायता से मिशन अंत्योदय (एमए) (**अनुबंध 4**) के अनुसार गरीबी उपशमन सर्वेक्षण की मैपिंग करने में समर्थ हों। जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सुविधाकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर जो क्रियाकलाप करने होंगे, वे इस प्रकार हैं:

क. ग्राम सभा के आयोजन के लिए अजा/अजजा/महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों सहित जन समुदाय को एकत्र करना। स्व-सहायता समूहों/युवा समूहों/धार्मिक समितियों एवं अन्य जैसे सामुदायिक संगठनों को ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

ख. भागीदार मंत्रालयों/विभागों के शीर्ष कर्मचारियों के साथ समन्वय करना।

ग. विनिर्दिष्ट तारीख को जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना। विचार-विमर्श के बाद जीपीडीपी आयोजना प्रक्रिया में शामिल की जा सकने वाली गरीबी उपशमन योजना।

घ. ग्राम सभा के आयोजन के विषय में प्लान प्लस पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

2.2 **स्टेक-होल्डरों का क्षमता विकास**

जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में सभी संगत स्टेक-होल्डरों को शामिल करना आवश्यक है, ताकि उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप उनके सुझावों के आधार पर विकास योजना तैयार करने का सार्थक मार्ग प्रशस्त हो सके। पंचायत स्तर पर जो निम्नलिखित स्टेक-होल्डर महत्वपूर्ण होंगे और जिनके प्रभावी योगदान के लिए उनकी क्षमताओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता होगी, वे स्टेक-होल्डर इस प्रकार हैं:

- ग्राम सभा (जीएस) के घटक
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के तीनों स्तरों के पदाधिकारी

- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)
- जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (डीपीसी)
- राज्य सरकार के पदाधिकारी
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदाधिकारी
- नागरिक समाज के प्रतिनिधि
- अन्य स्टेक-होल्डर (जैसे कि संबंधित विभाग, तालमेल विभाग, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) इत्यादि)

अध्याय 3: जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभा

अभिशासन में ग्राम सभा, जन सहभागिता का मंच है। यह ग्रामीण जन समुदाय को अपने इलाके के विकास कार्यक्रमों में शामिल होने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने का भी अवसर देता है। इन कारकों की पृष्ठभूमि में निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और मतदाताओं का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम सभा नियमों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे।

"पंचायतों के पास जितने अधिक अधिकार होंगे

लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा"

महात्मा गांधी

ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। जीपीडीपी की आयोजना प्रक्रिया व्यापक और भागीदारीपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/संबद्ध विभागों की योजनाओं से पूर्ण अभिसरण किया गया हो। ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप हेतु राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन में पंचायतों की अहम भूमिका है। जीपीडीपी 2020-21 तैयार करने के लिए लोक योजना अभियान (पीपीसी) 2 अक्तूबर से 31 दिसंबर, ***2019*** तक चलाया जाएगा। "**सबकी योजना सबका विकास**" के अंतर्गत शुरू किया गया यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और राज्य के 16 संबंधित विभागों में अभिसरण के माध्यम से ग्राम सभा में आयोजना का गहन और व्यवस्थित कार्य होगा।

3.1 ग्राम सभा की कार्यसूची

हालांकि ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन कार्यसूची के कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। कार्यसूची के बिंदु इस प्रकार हैं:

- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण
- पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट। पिछली लेखा परीक्षा टिप्पणियॉ तथा ग्राम पंचायत द्वारा उत्तर, अगर कोई होतो
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट।
- ग्राम पंचायत के पिछले वर्ष के विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट।
- वर्तमान वर्ष के दौरान आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम।
- सतर्कता समिति की रिपोर्टें।
- वार्ड सभा की सिफारिशें।
- ग्राम सभा उन प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श कर सकती है जिन्हें यह वार्ड सभा के लिए पर्याप्त रूप से आवश्यक समझे हालांकि उन प्रस्तावों को वार्ड सभा ने अपनी कार्यसूची में शामिल नहीं किया है।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग।

3.2 सफल ग्राम सभा के लिए किए जाने वाले उपाय

ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी सदस्यों को समय पर औपचारिक एवं अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की जानकारी दी जानी चाहिए। तथापि, हम अनुभव के आधार पर यह जानते हैं कि केवल औपचारिक सूचना देने से लोगों की भागीदारी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। उनकी भागीदारी सरपंच/अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता, उनके काम-काज के तरीके और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सरपंच/अध्यक्ष का व्यवहार मित्रतापूर्ण है और वे यह जानते हैं कि पदाधिकारियों तथा लोगों से कैसे बात करनी है और वे अपने कार्यों में भागीदारीपूर्ण व पारदर्शी भी प्रतीत होते हैं तो सभी ग्राम वासी ग्राम सभा में भागीदारी करेंगे। ग्राम सभा के प्रभावी आयोजन के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। **ग्राम सभा आयोजना के कैलेंडर का टैम्प्लेट अनुबंध1क में दर्शाया गया है।**

3.2.1 औपचारिक अधिसूचना

ग्राम सभा के आयोजन से पहले राज्य के मौजूदा मानदंडों के अनुसार सूचना जारी करना आवश्यक है। व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ढोल बजाकर और पंचायत भवन,

स्कूलों और स्थानीय बाजार में सूचना पत्र चिपका कर ग्राम सभा के आयोजन की सूचना का व्यापक प्रचार किया जा सकता है।

- ग्राम सभा की सूचना सभी मतदाताओं को निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए।
- सूचना में ग्राम सभा के आयोजन की तारीख, समय, स्थान और कार्यसूची का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सभा की कार्यसूची स्पष्ट और सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें।

3.2.2 सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

ग्राम विकास योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर दिया जाना चाहिए। हमें ग्राम सभा की बैठक में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें अपनी आवश्यकताएं एवं शिकायतें खुलकर बताने का अवसर देना चाहिए।

उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा के आयोजन की सूचना का उन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के लोग रहते हों।

यदि ग्राम सभा की अगली बैठक से पहले उनकी शिकायतों का निपटान कर दिया जाता है तो ग्राम सभा पर उनका विश्वास बढ़ेगा और वे ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने में अधिक रूचि लेंगे।

3.2.3 ग्राम सभा में महिलाओँ की भागीदारी

आमतौर पर, ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है और वे उपस्थित हो भी जाएं तो अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में अपने विचार और महिलाओं से संबंधित समस्याओं के विषय में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। हालांकि राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों का जिला स्तरीय समूह

के रूप में गठन किया गया है और वे बचत, ऋणों इत्यादि जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं लेकिन अभी वे ग्राम सभा में खुलकर भागीदारी करने में झिझकते है

इन परिस्थितियों में, ग्राम पंचायत को पहल करके महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से सक्रिय प्रचार-प्रसार द्वारा ग्राम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला वार्ड सदस्यों और अन्य सदस्यों की सहायता से यह कार्य किया जा सकता है।

महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उनके समाधान के उपाय किए जाने चाहिए।

(*ग्राम सभा में निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में ग्राम सभा की बैठकों से पहले महिला ग्राम सभाओं का अलग से आयोजन किया जा रहा है। इससे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समुचित समाधान सुनिश्चित होता है।*)

3.2.4 ग्राम सभा के लिए कोरम:

ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम पंचायत की बैठक के सदस्यों/मतदाताओं का दसवां हिस्सा होगा। यदि कोरम की वजह से पहली बैठक मुल्तवी कर दी जाती है तो बैठक को दूसरी तारीख तक स्थगित कर दिया जाएगा और इसकी प्रक्रिया राज्य के प्रावधानों के अनुसार होगी।

3.2.5 कार्यसूची/मुद्दों पर ग्राम सभा में चर्चा :

यद्यपि ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर ग्राम सभा चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ कार्यसूची/मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आवश्यक रूप से चर्चा की जानी है। इन कार्यसूची/मुद्दों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है (सन्दर्भ: ग्राम सभा कार्यसूची)।

3.2.6 प्रभावी भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक:

ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को औपचारिक और अनिवार्य रूप से समय पर सूचित किया जाना चाहिए। तथापि हम अनुभवों से जानते हैं कि केवल औपचारिक अधिसूचना लोगों की भागीदारी की गारंटी नहीं देती है। उनकी भागीदारी ग्राम पंचायत के सरपंच/अध्यक्ष के गुणो पर भी निर्भर करती है।

3.3 विशेष ग्राम सभा:

अभियान के दौरान एक व्यापक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विशेष ग्राम सभा की एक मॉडल अनुसूची **अनुबंध 2** में दी गयी है। इस विशेष ग्राम सभा में सभी विकासात्मक आवश्यकताओं/कमियों पर चर्चा की जाएगी। विभाग के क्रियाकलापों के बारे में शीर्ष कार्यकर्ता एक संक्षिप्त संरचित प्रस्तुति देंगे। मॉडल प्रस्तुति **अनुबंध 3** में दी गई है। शीर्ष कर्मचारी को भी ग्राम सभा के समक्ष चालू वर्ष में कार्यान्वित हो रहे क्रियाकलापों के साथ उसके लिए उपयोग की गई निधियों के साथ-साथ वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों और उसके आवंटित की जाने वाली निधि के बारे में सार्वजनिक जानकारी देंगे। ग्राम सभा से एक बार अनुमोदित होने के बाद विवरण के रूप में सार्वजनिक जानकारी को ग्राम पंचायत की जीपीडीपी योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाना होता है। नियुक्त किए गए सुविधाकर्ता ग्राम सभा के दौरान कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित सामुदायिक एकजुटता को सुनिश्चित करेंगे।

ग्राम संगठनों/एसएचजी को ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित होने के लिए समर्थन दिया जा सकता है, गरीबी उन्मूलन योजना को विचार-विमर्श के पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। ग्राम संगठनों/एसएचजी द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति का प्रारूप **अनुलग्नक 4** में संलग्न है।

अध्याय 4: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी

4.1 ग्राम पंचायत योजना सुविधाकर्ता दल का गठन

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की निरंतर सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस विज़न की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, समर्पित और सुनिश्चित मानव संसाधन के एक पूल की आवश्यकता होगी जो स्वेच्छा या परोपकारी रूप से अपनी सेवाएं समर्पित कर सके। स्वेच्छा से आगे आने वाले लोगों के इस समूह को ग्राम पंचायत योजना सुविधाकर्ता दल (जीपीपीएफटी) कहा जाता है, जोकि, ग्राम सभा और क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के स्तर पर योजना के अनुमोदन के लिए योजना तैयार करने हेतु माहौल बनाने से शुरू होकर जीपीडीपी के प्रत्येक चरण में शामिल होंगे। ग्राम पंचायतों (जीपी) के प्रधान/सरपंच/अध्यक्ष की अध्यक्षता में जीपीपीएफटी के सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप जीपीडीपी तैयार करने की पद्धति का अनुसरण करने और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जीपीपीएफटी उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत जीपीपीएफटी सदस्यों को जीपीडीपी की सुविधा के लिए सामुदायिक आधारित योजना प्रक्रियाओं से संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में कम से कम 3 से 5 सदस्यों वाले ''वार्ड योजना सुविधाकर्ता दल'' (डब्ल्यूपीएफटी) में विभाजित कर सकती है। डब्ल्यूपीएफटी यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी है कि सभी सदस्य और उनके संबंधित वार्ड के निवासी योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से बिना किसी बाधा और हिचकिचाहट के भाग लें।

यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक विषय-गत क्षेत्र कवर किए जाते है, जीपीपीएफटी सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रीय अनुभव या विशिष्ट रूचि वाले विषयों के आधार पर स्वयं पांच समूहों में बांटने की जिम्मेदारी लेते हैं। यह पांच समूह क्रमश: मानव विकास कार्यसमूह, महिला और बाल विकास कार्यसमूह, आजीविका विकास आधारभूत संरचना कार्यसमूह हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा कार्य समूह के साथ-साथ अवगठन एवं विविध कार्य समूह का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायत अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अधिक कार्यसमूहों का गठन कर सकती है। ये समूह, पर्यावरण संरक्षण

समूह, स्थानिक योजना और आपदा प्रबंधन योजना आदि हो सकते हैं। संबंधित विषय वाले क्षेत्रों की स्थायी/कार्यात्मक समिति के अध्यक्ष कार्यसमूह की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित विभाग का ब्लॉक स्तरीय अधिकारी या इस क्षेत्र में अन्य कोई स्थानीय विशेषज्ञ संबंधित कार्यसमूह का उपकुलपति हो सकता है।

4.1 वातावरण सृजन

जीपीडीपी की तैयारी में उठाया जाने वाला पहला कदम लोगों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। जागरूकता-बढ़ाने संबंधी प्रक्रिया के पश्चात अगला कदम समुदाय को उनकी आवश्यकताओं की निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एकजुट करना है और ग्राम पंचायत योजना तैयार करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। जागरूकता बढाने और एकजुट करने की यह संपूर्ण प्रक्रिया वातावरण सृजन/निर्माण कार्य के अंतर्गत आती है। यह जीपीपीएफटी है जो वार्ड सदस्यों और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता से ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी के लिए वातावरण सृजन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करने के लिए, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए मुख्य नियमित ग्राम सभा बैठकों के आयोजन से पूर्व पृथक ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है जिससे कि पीपीडपीपी में उनकी समस्याओं का बेहतर समाधान सुनिश्चित किया जा सके । जीपीडीपी के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी वातावरण सृजन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रियों और क्रियाकलापों को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। एक सफल जीपीडीपी

Facts and Figures of GPDP 2018

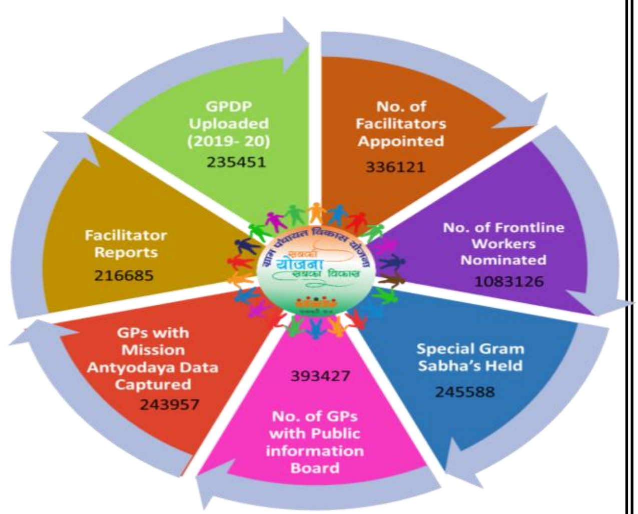

* As on 07th August 2019

वार्ड सभा के साथ-साथ ग्राम सभा में सभी स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के लिए आईईसी की प्रभाविता पर निर्भर करती है।

4.3 जागरूकता बढ़ाना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जागरूकता बढ़ाना जीपीडीपी के लिए वातावरण सृजन का एक भाग है। इसका उपयोग सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों और मानव तथा उनकी ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास के संबंध में आने वाली संबंधित बाधाओं की सूचना के संबंध में समुदायों को अवगत कराना है। जिससे कि किसी विशेष ग्राम पंचायत के नागरिक जीपीडीपी के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कमियों का पता लगा सके, समाधान और स्थानीय उपचार उपलब्ध करा सकें।

4.4 एकजुटता

एकजुटता भी जीपीडीपी के लिए वातावरण सृजन का एक घटक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एसएचजी सहित ग्राम पंचायत पीएफटी ग्राम पंचायत के सभी समुदायों के नागरिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे ग्राम सभा में जीपीडीपी की तैयारी, अनुमोदन या अस्वीकृति के दौरान अपनी सक्रिय भागीदारी और योगदान सुनिश्चित कर सके और इसके बाद के क्रियाकलापों की कार्यान्वयन की निगरानी कर सके।

4.5 प्रमुख क्षेत्र

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतें बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने और उनसे जुड़े कार्यों से संबंधित विकास कार्य करने की हकदार हैं। अनुसूची के अनुसार, 29 विषय हैं जहां ग्राम पंचायत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकती हैं। हालाँकि, ग्राम पंचायतों की विकास योजना में फिलहाल बुनियादी विकास पर अधिक बल दिया गया है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत संविधान में परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करती हैं, 13 कोर प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है ताकि उनके विकास क्रियाकलापों का संरेखण करने के लिए ग्राम पंचायतों को दिशा-निर्देश दिए जा सके। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत और 14वें वित्त आयोग में दी गई सिफारिशों में उल्लिखित बुनियादी सेवाएं। सेवाओं में जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान के पानी की निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाईट, कब्रिस्तान, श्मशान घाटों आदि का रखरखाव शामिल हैं।

ख) आर्थिक विकास और गरीबी उन्मुलन - ग्राम पंचायतों को विकास संबंधी मुद्दों पर स्थानीय रूप से प्रासंगिक संकेतकों को विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय एसडीजी के साथ कार्य को संरेखित करना शामिल है। इसे ऐसे क्रियाकलाप शुरू करने चाहिए जो स्थानीय उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाए, रोजगार और नियोजिता में वृद्धि करे, बाजार तक पहुंच और स्थानीय उत्पाद के लिए बाज़ारों को बेहतर बनाना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, बाजार, तालाब, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई सुविधाएं, डगवैल, सिंचाई टैंक आदि जैसी लाभकारी संरचनाओं का निर्माण करना। ग्राम पंचायतों को मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमएवाई, पीएमजीएसवाई, एनएसएपी, आरकेवीवाई आदि के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अभिसरित करना चाहिए।

ग) मानव विकास घटक साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका संवर्धन आदि से संबंधित हैं। आंगनवाड़ियों, स्कूलों, अस्पतालों के माध्यम से मानव विकास सूचकांक की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

घ) सामाजिक विकास में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कमजोर और सीमांत वर्गों का कल्याण करना शामिल है, जिनमें अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, संकटग्रस्त प्रवासी, हाथ से मैला ढोने वाले, मानव तस्करी के शिकार आदि शामिल हैं।

ड.) जीपीडीपी और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ इसके संबंध -एसडीजी के फ्रेमवर्क को स्थानीय बनाने के अवसर जीपीडीपी प्रस्तुत करता है। इस तरह के फ्रेमवर्क का उपयोग स्थानीय रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने वाले मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्यों और प्रभावों के लिए एक समेकित उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

च) पारिस्थितिक और पर्यावरण विकास - ग्राम पंचायत जैविक संसाधनों के रूपांतरण की योजना बना सकता है। पर्यावरणीय सततता से संबंधित कार्यों को प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को शामिल करना चाहिए, जिसमें स्थानीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता शामिल हैं।

छ) सार्वजनिक सेवा प्रदायगी - सेवाओं में प्रमाणपत्र जारी करना, अनिवार्य पंजीकरण और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, विवाह प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, लाइसेंस/परमिट जारी करना और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी पर जोर देने के साथ-साथ विशेष प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना शामिल हैं।

ज) सुशासन - बजट और व्यय की जवाबदेही, पारदर्शिता और सक्रिय प्रकटीकरण तथा समुदाय आधारित निगरानी पर जोर दिया जाना चाहिए।

झ) कौशल निर्माण -कौशल निर्माण में ग्राम पंचायत एक मुख्य भूमिका निभा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि कार्यक्रम में महिलाओं सहित कमजोर वर्गों की अत्यधिक भागीदारी हो। ग्राम पंचायतों को कौशल से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने, मोबीलाइजेशन के प्रयासों को सुविधाजनक बनाना, कौशल मांग और बाजार निर्धारण के आधार पर रोजगार के लिए डाटाबेस का सृजन करने के लिए योजना बनाना है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतें नौकरी मेलों के संचालन और कौशल प्रशिक्षण के सभी चरणों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की भी सहायता कर सकती हैं।

ञ) महिला एवं बाल संरक्षण और विकास - सभी क्रियाकलापों में जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना जीपीडीपी की तैयारी का एक आंतरिक हिस्सा है। ग्राम पंचायतों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रियाकलापों की योजना बनानी चाहिए और ग्रामीण स्तर पर बच्चों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और उसी के संचालन के लिए कदम उठाने चाहिए।

ट) स्थानिक योजना - यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजित विकास और नियमन के लिए एक प्रक्रिया है जो मौजूदा संसाधनों से समझौता किए बिना अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्र विकास और योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशा-निर्देश स्थानिक योजना की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं।

ठ) पंचायत की ई-सक्षमता - पंचायतों के मुख्य कार्यों जैसे कि विकेन्द्रीकृत योजना, बजट, लेखांकन, कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी की निगरानी जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि के लिए पंचायत में इंटरप्राईज स्यूटस (पीईएस) की तैनाती की जाती है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह अभिशासन सुनिश्चित करना होता है।

ड) अवसंरचना विकास- ग्राम पंचायतों को अवसंरचना विकास से संबंधित कमियों का निर्धारण और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर, स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायतों को तदनुसार योजना बनानी चाहिए। इसमें मरम्मत, पुनरूद्धार, उन्नयन और पहचान की गई अवसंरचना का नवनिर्माण शामिल हैं। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रखरखाव पर उचित ध्यान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4.6 आंकड़ों का एकत्रीकरण - स्थिति विश्लेषण

जीपीडीपी का मुख्य उद्देश्य कमियों के साथ-साथ समस्याओं का निर्धारण करने तथा जमीनी स्तर पर उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना है। इसकी प्राप्ति के लिए, मौजूदा मुद्दों के तथ्यों और आंकड़ों को मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण करने की जरूरत है। इसलिए, प्राथमिक और गौण दोनों आंकड़े जमीनी स्तर पर एकत्र किये जाने चाहिएं। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह करने के लिए, सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), घरेलू सर्वेक्षण और अडोस पडोस सर्वेक्षण के तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। पीआरए टूल में ट्रांसेक्ट वॉक, सामाजिक मैपिंग, प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग शामिल हैं। गौण आंकड़ों के मामले में, मिशन अंत्योदय (एमए), सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), जनगणना और संबंधित विभिन्न विभागों के आंकडों का उपयोग किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति का आकलन और विश्लेषण करने के लिए एकत्रित आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। स्थिति विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. विभिन्न विकास मुद्दों पर ग्राम पंचायत के मौजूदा परिदृश्य का विवरण एकत्र करना;
2. बुनियादी नागरिक सेवाओं, अवसंरचना और उपलब्ध विशेष सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन।

स्थिति विश्लेषण में प्राथमिक और गौण आंकड़े दोनों का संग्रह, विश्लेषण और प्रलेखन शामिल है। लोगों द्वारा विश्लेषण के लिए आंकड़ों का सत्यापन किया जाना चाहिए। समय पर आंकड़ों का

एकत्रीकरण और निगरानी करने के लिए, वेब और मोबाइल फोन-आधारित ऐप्लीकेशन सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। स्थिति विश्लेषण की प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं:

1. स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, कमजोर समूहों की स्थिति आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत की मौजूदा स्थितियों और विकास की स्थिति की शिनाख्त की जानी चाहिए।
2. मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।
3. ग्राम पंचायत में मौजूद बुनियादी सेवाओं, अवसंरचना और विशेष सुविधाओं, पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क की स्थिति, स्वच्छता आदि की कमियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।

इस प्रकार, मुद्दों का समाधान करने के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण में स्थिति विश्लेषण आधार के रूप में कार्य करता है ताकि इन्हें आगे जीपीडीपी में शामिल किया जा सके।

4.7 विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर)

स्थिति विश्लेषण के पूरा होने पर, जीपीडीपी के संकेतात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार जीपीपीएफटी प्रारूप विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा और ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा जिससे आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के विषयगत क्षेत्रों में समुदाय में सटीक और वास्तविक समय स्थिति की जानकारी लोगों को दी जा सके ।

4.8 दूरदर्शी अभ्यास

ग्राम सभा को डीएसआर के निष्कर्षों के आधार पर दूरदर्शी अभ्यास करने होंगे। दूरदर्शी अभ्यास का उद्देश्य योजना में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना है और लोगों को योजना प्रक्रिया में स्वामित्व की भावना का आभास कराना है। दूरदर्शी दस्तावेज का मुख्य कार्य बुनियादी सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए ग्राम पंचायत की प्रतिबद्धता दर्शाना है। इसे शिनाख्त किए गए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में प्राथमिकताओं की पहचान करने और योजना अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट उपलब्धि तय करने में मदद करनी चाहिए।

4.9 आवश्यकताओं की प्राथमिकता

डीएसआर के आधार पर जीपीपीएफटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बैठकों में विचार-विमर्श को निर्देशित करता है ताकि स्थानीय विकास की कमियों को दूर करने के लिए लोगों की प्राथमिक जरूरतों और महत्वपूर्ण मुद्दों की शिनाख्त प्राथमिकता के आधार पर की जा सके। ग्राम पंचायत के सभी वर्गों को कवर करने वाले निर्धारित 29 विषयगत क्षेत्रों में आवश्यकताओं में प्राथमिकता की शिनाख्त त की जानी चाहिए। आर्थिक विकास, गरीबी उन्मुलन, पानी और स्वच्छ्ता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय आदि पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

4.10 निधि कोश

राज्यों को ग्राम पंचायत के लिए निधि कोश का विस्तार करना है और उन्हें स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त संसाधन का सृजन करने के लिए मार्गदर्शन करना है तथा ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित आवंटित निधि का समय से देने की मानिटरिंग करना है। निधि कोश में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त सभी संसाधनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि पंचायत में जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत जैसे उच्चतर स्तरों द्वारा खर्च की गई निधि को ग्राम पंचायत के निधि कोश का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। राज्यों को यह तय करना चाहिए की हस्तांतरण कैसे किया जाए या किस प्रकार इसका लेखा-जोखा रखा जाए। निधि कोश के तत्वों को अंतिम रूप देने के बाद, राज्य योजना प्रक्रिया की शुरुआत से पहले ही लिखित रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देगा। यदि कुछ श्रेणियों का विवरण उपलब्ध नहीं है, तो व्यापक रूप में उनका संकेत दिया जा सकता है और बाद में उसकी जानकारी दी जा सकती है। मुख्य रूप से यह एक सरकारी आदेश के रूप में होना चाहिए जो ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर राज्य स्तर या जिला स्तर पर ग्राम पंचायत-वार विवरण देगा।

4.11 विशेष ग्राम सभा का आयोजन

प्राथमिक और गौण आंकड़ों के संग्रह के बाद एक विशेष ग्राम सभा और ऊपर उल्लिखित अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया जाएगा, प्रत्येक विभाग के शीर्ष कार्यकर्ता शुरू किए गए क्रियाकलाप, वर्तमान वर्ष के लिए उपयोग की गई निधियां और प्रस्तावित क्रियाकलापों, अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित निधियां और इसके विवरण को ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा। नियुक्त किए गए

सुविधाकर्ता ग्राम सभा के दौरान एससी/एसटी/महिला जैसे कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व सहित सामुदायिक एकजुटता सुनिश्चित करेंगे। ग्राम संगठन (वीओ) द्वारा तैयार की गई गरीबी उपशमन योजनाओं को ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण और विचार-विमर्श के बाद ग्राम पंचायत में शामिल किया जा सकता है।

4.12 जीपीडीपी प्रारूप की तैयारी

प्रारूप योजना तैयार की जाएगी, जिसमें लागत निर्धारण/निधि आबंटन, कार्यों के पूरा होने की समय सीमा के साथ-साथ प्रत्येक फोकस क्षेत्र में शिनाख्त किए गए कार्य इंगित होंगे। प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक विकास संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इन सुझावों को जीपीडीपी के प्रारूप में शामिल किया जाएगा। जीपीडीपी का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करने से पहले परिवर्तनों पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए जीपी की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप फॉर्मेट तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4.13 अंतिम जीपीडीपी

पंचायत अध्यक्ष, सचिव और ग्राम पंचायत सदस्यों सहित सभी संबंधित विभागों और समुदाय के अधिकारियों की उपस्थिति में, ग्राम पंचायत और जीपीपीएफटी सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के समक्ष परियोजना-वार विवरणों के साथ-साथ जीपीडीपी दस्तावेज़ की संक्षिप्त प्रस्तुति के रूप में अंतिम जीपीडीपी और तैयार योजना पर चर्चा के लिए रखना होता है। । राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार यह प्रारूप मंजूरी के लिए भेजा जाता है। प्रक्रिया के दौरान, बैठक के कार्यवृत्त उचित रूप से रिकार्ड किए जाएं।

अध्याय 5: परियोजना निगरानी एकक (पीएमयू) की तुलना में अभियान पोर्टल

पीपीसी के सफल कार्यान्वयन के लिए सही जानकारी साझा करने की मानिटरिंग हेतु परियोजना निगरानी एकक के संबंध में अभियान पोर्टल को विशेष रूप से विकसित और तैयार किया जाएगा। एमओपीआर ने पहले से ही एक पोर्टल (www.gpdp.nic.in) का संचालन किया है, जिसके माध्यम से अभियान की प्रगति की निगरानी की जा सकती है। अभियान के सफल कार्यान्वयन की दिशा में सुविधाकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए तकनीकी प्रश्नों के समाधान के लिए सहायता दी जाती है।

अभियान के शुरू से अंत तक योजना नियोजन और कार्यान्वयन चरण में विभिन्न क्रियाकलापों का आकलन करने के उद्देश्य से, राज्यों को सक्रिय होना चाहिए और पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग स्वरूपों में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के प्रमुख सचिवों को अभियान के लिए राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) नियुक्त करना होता है। पोर्टल में लॉग-इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड को कैस्केडिंग मोड में बनाया जाएगा, जहां राज्य नोडल अधिकारियों के लिए केंद्रीय स्तर पर यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं जाएंगे। इसके अलावा, जिला/ब्लॉक और सुविधाकर्ता स्तर के लिए, राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा उनके अगले ऊपरी स्तर पर यूजर नेम और पासवर्ड को बनाएं जाएंगे। इसी तरह, संबंधित विभागों के राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों को यूजर नेम और पासवर्ड दिए जाएंगे। संबंधित विभागों के ये राज्य स्तर के नोडल अधिकारी निर्दिष्ट दिनों में ग्राम सभा (जीएस) बैठकों के लिए नियुक्त किए जाने के साथ-साथ प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शीर्ष कार्यकर्ताओं के नामों को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

5.1 प्राथमिकता आधार पर जीपीडीपी तैयार करने के लिए जीपी की सक्रियता

डीएसआर रिपोर्ट के आधार पर, ग्राम सभा को पूरे ग्राम पंचायत को कवर करने के लिए शिनाख्त किए गए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार कर चर्चा करनी चाहिए। आर्थिक विकास, गरीबी उन्मुलन, जल और स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जीपीपीएफटी स्थानीय विकास की कमियों को दूर करने के लिए लोगों की आवश्कयकताओं की शिनाख्त और प्राथमिकता देने के लिए गाम सभा और ग्राम पंचायत बैठकों में विचार विमर्श में सहायता करेगा ।

5.2 प्लान प्लस/पीआरआईए सॉफ्ट पर जीपीडीपी अपलोड करना

निर्दिष्ट प्रारूप में जीपीडीपी का प्रतिपादन और सम्पूर्ण जांच के बाद, और विनिर्दिष्ट तरीके से ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ, **30 नवंबर 2019 तक** अंतिम योजना को प्लान प्लस/ पीआरआईए सॉफ्ट में अपलोड किया जाना चाहिए।

5.3 पीएफएमएस सहित जीपी लिंकेज

जैसा कि पीएफएमएस रियल टाइम सामान्य लेनदेन-आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन और भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से सभी प्लान स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार से लेकर निचले क्रम तक एफएफसी निधि के संवितरण की जांच की जाती है। इसलिए, राज्यों को अपनी ओर से निर्धारित निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति का समापन सुनिश्चित करना होता है

i) पीएफएमएस पर एलजीडी कोड वाली एजेंसियों के रूप में बैंक विवरण के साथ सभी ग्राम पंचायतों की मैपिंग/पंजीकरण

ii) पीएफएमएस पर लॉगिन सुविधा के साथ सरपंच और पंचायत सचिव (मेकर और चेकर सुविधाओं के साथ) डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) डोंगल उपलब्ध कराना।

iii) वित्तीय वर्ष **2018-19** के लिए वर्ष की बही/खातों को बंद करना।

iv) बैंक विवरण के साथ पीएफएमएस में वैंडर/सेवा प्रदाता की मैपिंग/पंजीकरण।

अध्याय 6: अनुमोदित योजना का प्रकाशन

जीपीडीपी की पूर्ण संवीक्षा करने के बाद, 31 दिसंबर 2019 तक अंतिम रूप से अपलोड की गई प्लान प्लस/पीआरआईए सॉफ्ट में प्रकाशित होनी चाहिए। योजना की हार्ड कॉपी सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जा सकती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में अर्थात 01 जनवरी 2020 तक जीपीडीपी के परिसंपत्तियों से सृजित क्रियाकलापों को सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर प्रकाशित किया जा सकता है। सार्वजनिक सूचना बोर्ड का एक नमूना अनुबंध 5 में दिया गया है।

अध्याय 7: राष्ट्रीय स्तर के मानिटर (एनएलएम)

संस्थागत एनएलएम को यादृच्छिक चयन के आधार पर ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा और अभियान के दौरान कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर भी निगरानी रखेंगे। वे जमीनी स्तर पर अभियान के प्रभाव का पता लगाने के लिए लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या मंत्रालय के कार्यक्रमों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है और साथ ही ग्राम सभाओं में शीर्ष कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों के भागीदारी स्तर को सत्यापित करना है। **पीपीसी 2018 का मूल्यांकन करने के लिए एक अभ्यास किया गया था और अनुबंध 6 में एक स्नैपशॉट दिया गया है।**

अध्याय 8: आरजीएसए और महत्वाकांक्षी जिले

आरजीएसए ने पंचायतों के लिए आकांक्षी जिलों और मिशन अंत्योदय समूहों में एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की है। "ट्रांसफोरमेशन ऑफ असपाररेशनल डिस्ट्रिक्ट" कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, जो कि मानकों पर चयनित 28 राज्यों में से 117 जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करना है। नागरिकों के जीवन और आर्थिक उत्पादकता की गुणवत्ता पर सीधा असर। कार्यक्रम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं - कन्वर्जेंस (केंद्रीय और राज्य योजनाओं के), सहयोग (नागरिकों और जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच), और जिलों के बीच प्रतियोगिता। मुख्य रूप से राज्यों द्वारा प्रेरित, यह पहल प्रत्येक जिले की शक्तियों पर केंद्रित है, और तत्काल सुधार के लिए प्राप्य परिणामों को प्राथमिकता देती है और एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में काम करती है। **एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक सूची अनुबंध 8 के रूप में प्रदान की गई है।**

अध्याय 9: ग्रामीण विकास मंत्रालय और सेवा प्रदायगी कार्य

1. ग्राम निर्धनता घटाव योजना: जीपीडीपी के साथ एकीकरण

पीआरआई-एसएचजी अभिसरण : सहजीवी संबंध

ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जबकि एसएचजी अनौपचारिक संगठन हैं जिनमें सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के समूह शामिल हैं। ग्राम पंचायतों (जीपी) को भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में 29 विषयों पर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरी ओर, एसएचजी ज्यादातर महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं, और उनके संघों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आने के लिए स्वयं और अन्य कमजोर परिवारों की मदद के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायतों और एसएचजी नेटवर्क दोनों उद्देश्य गांवों में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायतों और गरीबों के एसएचजी नेटवर्क के बीच घनिष्ठ साझेदारी की आवश्यकता है। जबकि संविधान में ग्राम पंचायतों की कार्यात्मक भूमिका स्पष्ट रूप से दी गई है, ग्राम पंचायतों के कामकाज और निष्पादन को बेहतर बनाने में एसएचजी नेटवर्क की संभावित भूमिका दिशा-निर्देशों (जीपीडीपी और आरजीएसए दोनों), एड्वाइजरी में दी गई है और देशभर में कई स्थानों पर प्रदर्शित की गई है।

डीएवाई-एनआरएलएम, एसएचजी और उनके संघों को बढ़ावा दे रहा है और इन संघों को स्व-प्रबंधित और आत्मनिर्भर स्थायी सामुदायिक संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण और सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। एसएचजी संघ पहले से ही जमीनी स्तर पर कई विकास कार्यों में शामिल हैं। वे सक्रिय रूप से ग्राम सभाओं में भाग ले रहे हैं और अधिकतर सीमांत और कमजोर परिवारों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं।

ग्राम पंचायतों और एसएचजी के बीच साझेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यहां तक कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार की गई संशोधित जीपीडीपी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायतों और एसएचजी के एक साथ काम करने के सापेक्ष महत्व को रेखांकित करते हैं। **लेकिन पारस्परिक सम्मान बनाए रखते हुए और अन्य स्वतंत्र संस्था द्वारा व्यवधान डाले बिना इस साझेदारी को कार्यात्मक बनाना एक चुनौती है।**

जमीनी स्तर पर एसएचजी संघ और स्थानीय स्व-सरकार (जीपी/वीसी) के बीच प्रभावी साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए, एक-दूसरे की ताकत और बाधाओं को समझना, आपसी सम्मान, विश्वास विकसित करना है और दोनों संस्थानों को साझेदारी की आवश्यकता महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है।

एसएचजी संघों द्वारा ग्राम निर्धनता घटाव योजना (वीपीआरपी)

ग्राम निर्धनता घटाव योजना (वीपीआरपी): ग्रामीण स्तर पर निर्धनता घटाव लिए योजना बनाने हेतु एसएचजी संघों और उनके सदस्यों द्वारा इस टूल का उपयोग किया जाता है। निर्धनता उन्मूलन योजना स्थानीय विकास के लिए गांव या वार्ड स्तर पर स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक मांग योजना है। इस योजना का लक्ष्य सबसे कमजोर समुदाय की आजीविका में गुणात्मक सुधार और गाँव का समग्र विकास करना है। एसएचजी संघों और उनके सदस्यों द्वारा तैयार की गई ग्राम निर्धनता घटाव योजना संसाधन विकास और मूलभूत अवसंरचना विकास के साथ-साथ विभिन्न आजीविका कार्यों, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समेकित मांग है। पीआरसी में व्यक्तिगत/पारिवारिक स्तर की योजनाओं (जैसे मनरेगा योजना के अंतर्गत पीएमएवाई, एनएसएपी, आईबीएस) के लिए योग्य लाभार्थियों की सूची और स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे सुरक्षित पेयजल, स्कूल भवन, सड़क आदि की आपूर्ति) भी शामिल है। इसमें गांव के उन कमजोर और सीमांत परिवारों की मांग भी शामिल है, जो एसएचजी समूह के अंतर्गत नहीं आने हैं।

निर्धनता घटाव योजना का उद्देश्य: ग्राम पंचायत निर्धनता घटाव योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं

1. एसएचजी नेटवर्क के नेतृत्व में स्थानीय विकास के लिए व्यापक और समावेशी योजनाएँ तैयार करना।

2. निर्धनता उन्मूलन कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व का सुदृढ़ीकरण।

3. उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्व-सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के संघों के बीच आपसी बातचीत की सुविधा प्रदान करना।

(निर्धनता घटाव योजना पर सुविधाकर्ता मॉडल प्रस्तुतीकरण की एक प्रति : 2020-2021 को **अनुबंध - 4 के रूप में दर्शाया गया है)**

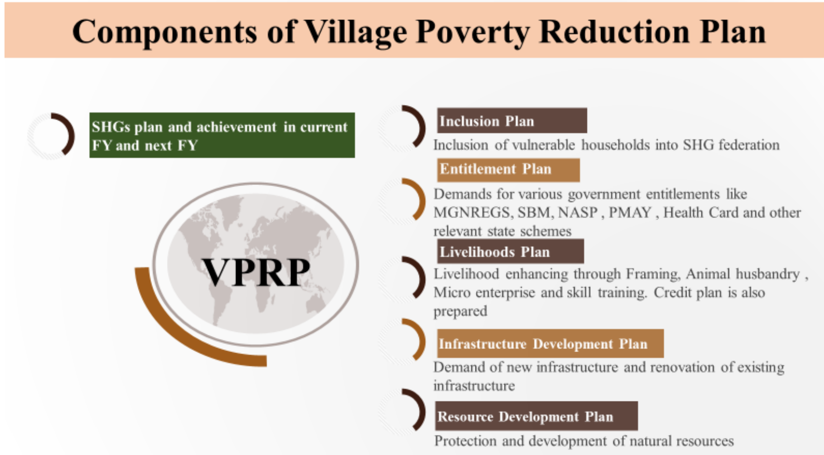

ग्राम गरीबी घटाव योजना के घटक

एसएचजी योजना और वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्धि

समावेश योजना

एसएचजी संघ में कमजोर परिवारों का समावेश

पात्रता योजना

एमजीएनआरईजीएस, एसबीएम, एनएएसपी, पीएमएवाई, स्वास्थ्य कार्ड और अन्य प्रासंगिक राज्य योजनाएँ जैसे विभिन्न सरकारी अधिकारों की मांग

आजीविका योजना

कृषि, पशुपालन, सूक्ष्म उद्यम और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका को बढ़ाना, ऋण योजना भी तैयार की जाती है

आधारभूत संरचना विकास योजना

आधारभूत संरचना की मांग और मौजूदा बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण

संसाधन विकास योजना

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास

गरीबी घटाव योजना की प्रक्रिया: जीपी स्तर की गरीबी घटव योजना, वार्ड के साथ-साथ ग्राम

पंचायत में वीओ या वीओ की समूह द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन है। वीओ योजना की तैयारी अपने घटक एसएचजी से योजनाओं के समेकन द्वारा की जाती है । इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

1. पीएई के दौरान एसएचजी स्तर पर अधिकारों की पहुंच का मानचित्रण और समेकन किया जाता है । 'एसएचजी आजीविका एवं हकदारिता योजना' बनाने के लिए इसे सामाजिक समावेश योजना, आजीविका योजना और एसएचजी की सूक्ष्म ऋण योजना के साथ विलय किया गया है।

2. वीओ स्तर पर समेकित एसएचजी स्तर की योजनाओं को 'ग्राम आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजना' बनाने के लिए ग्राम स्तर संसाधन और आधारभूत संरचना विकास योजनाओं के साथ विलय किया जाता है । 'इसमें मौजूदा परिसंपत्तियों और प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव के लिए गतिविधियाँ भी शामिल होंगी, यदि कोई हो तो । गरीबी घटाव योजना में प्रस्तावित सभी गतिविधियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

3. वीओ या वीओ समूह द्वारा तैयार की गई गरीबी घटाव योजनाओं को जीपीडीपी में इन मांगों को शामिल करने के लिए ग्राम सभा में रखी गई हैं। योजना आधारित मांगें को जीपी, लाइन विभागों और डे-एनआरएलएम से आवंटन के लिए एकीकृत किया गया हैं ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचारित ग्राम पंचायत गरीबी घटाव योजनाओं का मॉडल टेम्पलेट नीचे दिया गया है। ग्राम पंचायत को इस पीआरपी को जीपीडीपी के साथ एकीकृत करना होता है और ग्राम पंचायत को संबंधित लाइन विभागों एवं उच्च स्तरीय पंचायतों को भी आवश्यकतानुसार मांगों को संदर्भित करना पड़ता है ।

गरीबी घटाव योजना का प्रभाव

1. तैयार एकीकृत जीपीडीपी में निर्धनता घटाव पर ठोस फोकस होगी, सही लाभार्थियों को लक्षित करते हुए और गरीब समूहों और इलाकों के लिए बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता देने जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को समेकित करते हुए, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न कानूनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत प्रदान की गई पात्रता आजीविका तक पहुंचती है। ।

2. उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त अपयोग और सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से एसएचजी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करना।

3. योजना तैयारी से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक की संपूर्ण विकास प्रक्रिया पर सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व।

4. अनुश्रवण और निगरानी गतिविधियों में एसएचजी नेटवर्क की सक्रिय भूमिका जो समग्र और सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है (जैसे कि स्कूली बच्चों का पता लगाना और 100% स्कूल नामांकन, 100% टीकाकरण, शौचालयों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना आदि। ।)

5. नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के वितरण में सुधार और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गरीब-उन्मुख विकास सुनिश्चित करने द्वारा स्थानीय स्व-सरकार के रूप में ग्राम पंचायत को मजबूत करना

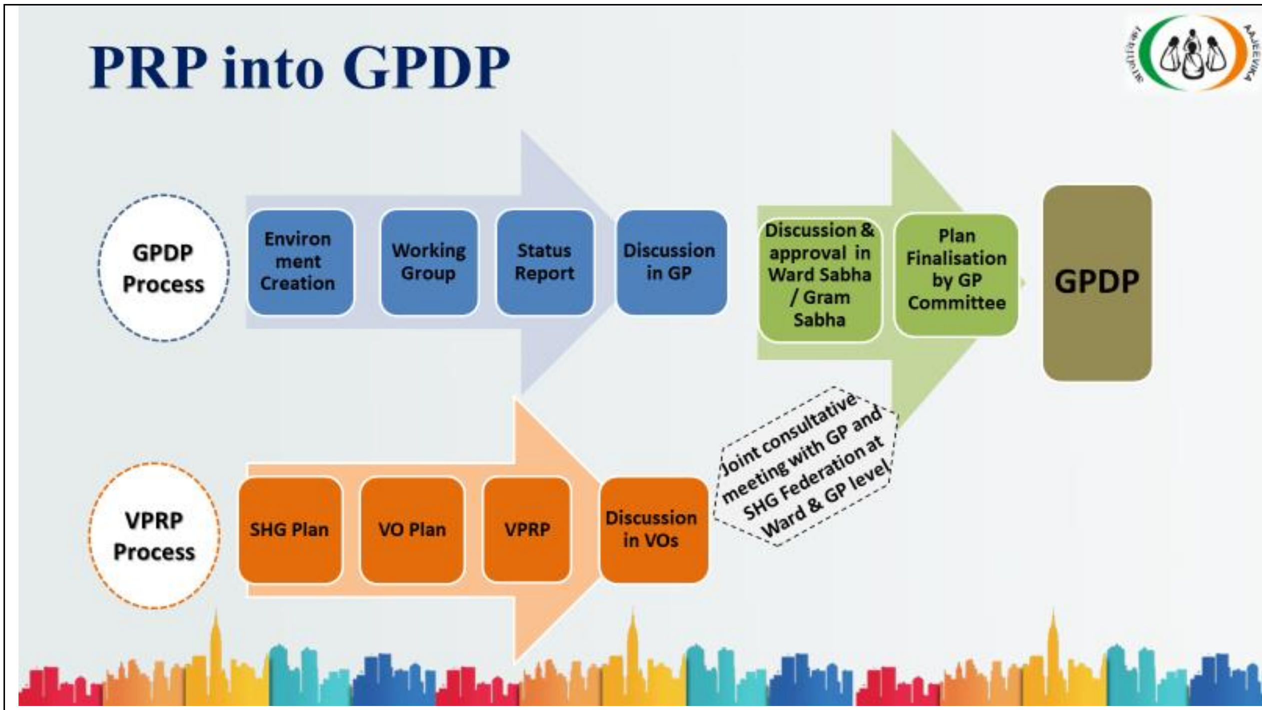

ग्राम पीआरपी तैयारी का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्थानीय आवश्यकता (व्यक्तिगत और समुदायिक) को शामिल करते हुए एक व्यापक मांग योजना विकसित करना है। इस प्रक्रिया के दौरान, सबसे कमजोर और सीमांत परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जो एसएचजी के सदस्य नहीं हो सकते हैं । इसी तरह, क्षेत्र के भीतर, जरूरत और आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक संपत्ति के विकास के लिए अत्यंत वंचित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस मांग योजना को अमल में लाने के लिए, भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई गतिविधियों को प्राथमिकता और अनुमोदन के लिए वार्ड सभा के बाद ग्राम सभाओं में रखा जाना चाहिए। ग्राम सभाओं में अनुमोदित वीपीआरपी के भाग के रूप में गतिविधियों को जीपीडीपी में शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान और गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए ग्राम सभा को मंच बनने का अधिकार और आदेश दिया गया है । इसलिए, पीआरपी को ग्राम सभा योजना बैठक में रखा जाना चाहिए और बैठक के कार्यवृत्त को भी ग्राम सभा बैठक रजिस्टर में नोट करना होगा।

ग्राम सभा बैठक के दौरान संबंधित एसएचजी फेडरेशन गरीबी घटाव योजना को मंच के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह पीआरपी स्थानीय विकास के लिए एसएचजी फेडरेशनों द्वारा उठाए गए एक मांग योजना है। ग्राम सभा में फोरम को एसएचजी संघों द्वारा उठाए गए कार्यों / मांगों और

जीपीडीपी में उन योजनाओं को शामिल करने की क्षमता के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। ग्राम सभा की बैठक में प्राथमिकता भी दी जाएगी । एसएचजी संघ के सदस्यों को सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से उनके द्वारा पहचाने गए जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ बातचीत करनी होगी। बाद में, ग्राम पंचायत को जीपी के लिए उपलब्ध योजनाओं / कार्यक्रमों / उपलब्ध के विपरीत गतिविधियों को मैप करना पड़ता है और तदनुसार बजट करना पड़ता है । एमओपीआर सलाहकार और जीपीडीपी दिशानिर्देश ने एसएचजी संघ के प्रतिनिधियों को जीपी की उप / कार्यात्मक समितियों में सदस्यों के रूप में आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, एसएचजी संघ गतिविधियों के संकलन और अंत में स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जीपीडीपी की तैयारी और सबसे कमजोर परिवारों एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने में जीपी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

जीपीडीपी में एसएचजी और उनके संघ को शामिल करना

एसएचजी को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत स्तर की योजना की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:

1. ग्राम पंचायत गरीबी घटाव योजना तैयार करने के लिए स्थानीय विकास और व्यक्तिगत लाभ और पात्रता से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए एसएचजी संघ की आवश्यकता होती है। इस योजना को ग्राम सभा में एसएचजी संघों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और ग्राम सभा में सत्यापन के बाद जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए
2. इस योजना को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लागू किए जाने वाले अन्य गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्धन क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे स्थापित करके इसे और मजबूत किया जा सकता है।
3. एसएचजी और उनके संघ, जीपीडीपी के लागतविहीन विकास घटकों जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सक्रिय रूप से भागीदारी करनी चाहिए,

2. मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, 2019: दिशा-निर्देश

मिशन अंत्योदय के बारे में

मिशन अंत्योदय (एमए) एक अभिसरक ढांचा कार्य है, जिसे लोगों के जीवन और आजीविका को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया है। मिशन का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खर्च किए गए संसाधनों के बड़े पूल, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के लिए जवाबदेहिता और परिणामों में सुधार करना है। मिशन की प्रमुख विशेषताएं हैं;

- योजना के लिए बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करता है।
- ग्रामीण आजीविका के परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पेशेवरों, संस्थानों और उद्यमों के नेटवर्क के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में प्रगति की निगरानी के लिए मापन योग्य परिणामों पर आधारित वार्षिक मूल्यांकन।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए भागीदारी योजना की प्रक्रिया का समर्थन करना जिससे सेवा वितरण में सुधार होगा, नागरिकता बढ़ेगी, लोगों के संस्थानों और समूहों के गठबंधन में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार होगा।

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत में सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि विकास प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी की जा सके।
- मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण को पंचायत राज मंत्रालय के जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ जोड़ा जा सकता है। वर्तमान वर्ष 2019 में, 2 अक्टूबर - 31 दिसंबर, 2019 के दौरान भी सर्वेक्षण किया जाएगा, जब पीपीसी का कार्य चल रहा होगा।
- सर्वेक्षण की मूल इकाई ग्राम पंचायतें/गाँव हैं। विभिन्न विकास संकेतकों पर सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग ग्राम पंचायतों/गांवों की रैंकिंग के लिए किया जाता है।
- जीपीडीपी बनाते समय मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धारित विकास से संबंधित कमियां ग्राम पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करते हैं।

- सामाजिक क्षेत्र के आवंटन के इष्टतम उपयोग के लिए जीपी द्वारा एक समेकित योजना तैयार करना आवश्यक हो गया है।

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के अंतर्गत मुख्य प्रक्रियाएं

1.मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण टूल का डिजाइन :

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के लिए तैयार की गई प्रश्नावली को भाग-ए और भाग-बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भाग-ए संविधान की 11 वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अंतर्गत अवसंरचना की उपलब्धता से संबंधित है। पंचायती राज संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे 11 वीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत उल्लिखित विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए *आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय* सुनिश्चित करेंगे। जबकि भाग-बी बेहतर जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, जल प्रबंधन और दक्षता जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा प्राप्त सेवाओं से संबंधित है।

बजट भाषण (वि.व. 2017-18; पैरा 33) में उल्लेखित सूचकांक की गणना करने के उद्देश्य से, क्रमिक आकड़े प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने के बजाय, मात्रात्मक जानकारी एकत्र की जा सकती है। प्रश्नावली में प्रस्तावित संकेतक स्वभाव में सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। कम्पोजिट सूचकांक में दो प्रकार के संकेतक होते हैं, जिसकी गणना निम्न सूत्रों के आधार पर की जाती है।

- सकारात्मक सूत्र का निम्न सूत्र के अनुसार निर्धारण किया जा सकता है,

$$z_{ij} = \frac{Actual_{ij} - Min_i}{Max_i - Min_i}$$

- नकारात्मक संकेतक (प्रश्नों की सूची में संकेतक संख्या 5,6 और 7) का निम्न सूत्र के अनुसार निर्धारण किया जा सकता है,

$$z_{ij} = \frac{Max_i - Actual_{ij}}{Max_i - Min_i}$$

जहाँ z_{ij} का मतलब जीपी j के लिए पैरामीटर/इंडिकेटर i के सामान्य स्कोर से होता है, वहीं वास्तविक $_{ij}$ का मतलब जीपी j के लिए वास्तविक मूल्य से होता है, न्यूनतम $_i$ और अधिकतम $_i$ का मतलब पैरामीटर/इंडिकेटर i की न्यूनतम और अधिकतम मूल्य से होता है ।

एक बार सभी संकेतकों के लिए सामान्य जेड-स्कोर को दर्ज कर लिया जाता है, तदनुसार निम्न सूत्र के अनुसार हम सभी संकेतकों के अंकगणितीय अर्थ लेकर जीपी j के लिए कम्पोजिट सूचकांक प्राप्त करते हैं ।

$$I_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i$$

उपरोक्म उल्लिखित पद्धति में देश के सभी जीपी के लिए कंपोजिट इंडेक्स पर पहुंचा जा सकता है और उनके संबंधित सूचकांकों के मूल्य के अनुसार उन्हें रैंकिंग दी जा सकती है । I का मूल्य 0 से 1 के बीच भिन्न होता है, जहां 0 सबसे कम विकास का प्रतिनिधित्व करता है और 1 हमारे अभ्यास में विचार किए गए मापदंडों के संदर्भ में उच्च विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

सूचकांक क्षेत्रीय अंतर को भी ध्यान में रख सकता है । इसे जीपी के तीन वर्गों में प्रत्येक संकेतक के लिए न्यूनतम और अधिकतम को परिभाषित करके किया जा सकता है, जिसमें जीपी को उन राज्यों जिनसे वे संबंधित हैं की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।

i मिशन अंत्योदय के तहत सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन को नीचे प्रस्तुत किया गया हैं । सर्वेक्षण अभ्यास की सफलता के लिए इन **मानव संसाधनों** का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

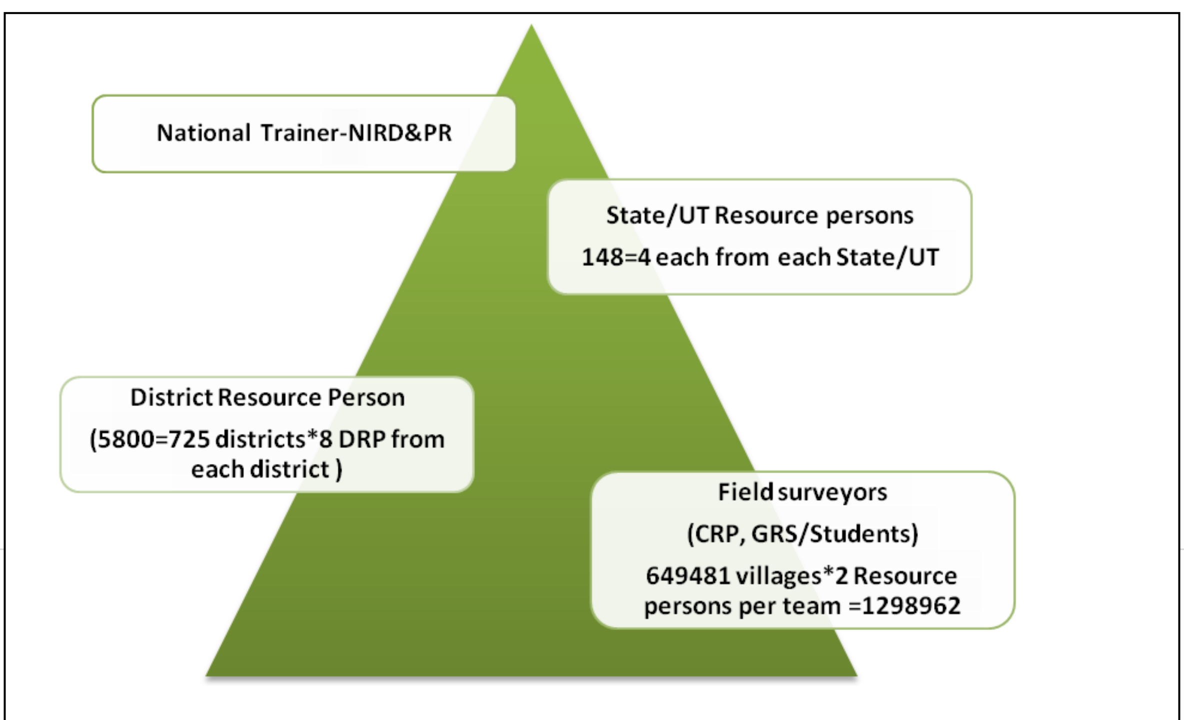

ii **स्त्रोत दलों का प्रशिक्षण**: सर्वेक्षण से जुड़े राज्य स्त्रोत व्यक्ति, जिला स्त्रोत व्यक्ति और क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए एनआईआरडी एवं पीआर के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे । प्रशिक्षण कों कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाएगा । विवरण निम्नानुसार हैं :

- एनआईआरडी और पीआर द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया जाएगा, जो आगे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संसाधन व्यक्ति और अन्यों को प्रशिक्षण देगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त राज्य संसाधन व्यक्तियों को 6-7 और 12-13 सितंबर, 2019 को एनआईआरडीपीआर में प्रशिक्षित किया जाएगा। एनआईआरडी एवं पीआर के हैदराबाद और गुवाहाटी परिसरों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- राज्य संसाधन व्यक्ति और एनआईआरडी और पीआर द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए जिला संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रत्येक जिले से 8 व्यक्ति निर्धारित किए जाएंगे।
- जिला संसाधन व्यक्ति ब्लॉक/जीपी में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), छात्रों और ग्रामीण रोज़गार सेवकों (जीआरएस) को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- राज्य सरकारें इस योजना अभ्यास में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को भी शामिल कर सकती हैं। इन छात्रों को सीआरपी और जीआरएस के साथ प्रशिक्षण भी मिलेगा।

iii. **सर्वेक्षण की अवधि:** राज्यों को 2 अक्टूबर - 31 दिसंबर, 2019 तक ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण पूरा करने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीमों की तैनाती की आवश्यकता होगी। दो व्यक्तियों की एक टीम (सीआरपी/जीआरएस/छात्र आदि) दो दिनों में 1 जीपी से जानकारी पूरी/एकत्र कर सकती है। राज्यों को सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया की गहन निगरानी और पर्यवेक्षण करने की भी आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ/बीपीएम को कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जा सकता है।

iv. **सर्वेक्षण की विधि:** सीआरपी टीमों से वार्ड सदस्य / सरपंच, जीपी सचिव, निर्वाचित पदाधिकारी, आईसीडीएस कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, ग्राम राजस्व अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, अन्य लाइन विभागों के फ्रंट लाइन कार्यकर्ता, सामुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की उम्मीद की जाती है।

टीमों को सलाह दी जाती है कि वे गांव में घूमें और एससी और एसटी बसावटों सहित सभी की बसावटों को कवर किया जा सके।

v. **ग्राम सभा द्वारा मान्यकरण :** सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, टीम को ग्राम सभा द्वारा मान्य सभी आंकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। टीम को प्रत्येक गांव पर एकत्रित जानकारी की एक मुद्रित प्रति डाउनलोड करने और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखने की आवश्यकता होगी। फीडबैक के आधार पर आवश्यक बदलाव करने होंगे।

vi. मिशन अंत्योदय के लिए तैनात **मानव संसाधनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:**

नामित अधिकारी	**अपेक्षित कार्य**
राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) **अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव (आरडी/पीआर)**	• राज्य स्तर पर फोकल बिंदु के रूप में समन्वय, निगरानी मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण • जीपी और अन्य प्रमुख केंद्रीय और राज्य योजनाओं को हस्तांतरित 29 विषयों के तहत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले राज्य स्तरीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
राज्य संसाधन व्यक्ति **मिशन अंत्योदय के अंतर्गत समग्र सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदारी**	• राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वेक्षण का संचालन करना। • एनआईआरडी और पीआर केंद्रों में सर्वेक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण शुरू करना • प्रशिक्षण और सर्वेक्षण के लिए जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) और क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन • संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिलों/ब्लॉकों के लिए

	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी • एनआईसी से प्राप्त करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए डीपीआर को अधिकृत करना
जिला स्रोत व्यक्ति	• जिला स्तर पर सर्वेक्षण का समन्वय और निगरानी करना • सर्वेक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण शुरू करना • प्राधिकरण से उचित अनुमोदन लेकर प्रशिक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन • ब्लॉक/गांवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी
ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ)	• संबंधित ब्लॉक/जीपी में सर्वेक्षण का निरीक्षण • सर्वेक्षण के दौरान मुद्दों निर्धारण • मिशन अंत्योदय से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए समय से ग्राम सभा का आयोजन • वेब पोर्टल में आंकड़े अपलोड करना
क्षेत्रीय सर्वेक्षणकर्ता/ सुविधाकर्ता	• मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण शुरू करना • आंकड़ों का संग्रह करने के लिए सर्वे करना • ग्राम सभा में आंकड़ों का सत्यापन • मिशन अंत्योदय के तहत आंकड़ों का संग्रह प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए डीआरपी और क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ सहयोग देने के लिए सुविधाकर्ता • आंकड़ों का संग्रह करने के लिए जीपी और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में स्थानांतरित 29 विषयों पर योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले लाइन विभागों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना • आशा/एएनएम/आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता /कृषि विकास विस्तार अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी

	की गारंटी होनी चाहिए • आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन • मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से प्रतिबिंबों के आधार पर जीपीडीपी तैयार करने में सहायता

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और परियोजना कार्यान्वयन एकक (पीएमयू) का वेबपोर्टल:

एक समर्पित वेबपोर्टल की पहले से ही व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से अभियान की प्रगति की निगरानी की जा सकती है। चयनित राज्य संसाधन व्यक्तियों और क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं को पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें मिशन अंत्योदय वेब पोर्टल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। पंजीकृत उपयोगकर्ता ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद वेबपोर्टल में सर्वेक्षण की जानकारी अपलोड करेंगे।

सफल तालमेल के लिए जीपीडीपी पोर्टल और मिशन अंत्योदय पोर्टल के बीच एक लिंक होना चाहिए। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी और अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए एक पीएमयू की स्थापना की जाएगी। पीपीसी के लिए तैनात मानव संसाधन मिशन अंत्योदय के तहत सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। पीएमयू में मानव संसाधनों की विशिष्ट भूमिकाओं में निम्न शामिल हैं:

i. राज्य नोडल अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का आश्वासन देना;
ii. मोबाइल एप्लिकेशन में आने वाली कमियों को दूर करना;
iii. समाधान के लिए एनआईसी के साथ लिंक स्थापित करना

प्रशिक्षण लागत

क) **एनआईआरडी और पीआर पेशेवरों की लागत:** एनआईआरडी और पीआर पेशेवरों (5 वर्षों के अनुभव के साथ) राज्य टीमों के प्रशिक्षण के लिए लगे संसाधन शुल्क और यात्रा लागत का भुगतान एनआईआरडी और पीआर के मौजूदा मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

ख) **जिला संसाधन व्यक्तियों का कार्योन्मुखता :** राज्य स्तर पर जिला स्रोत व्यक्तियों का कार्योन्मुखता करने के लिए प्रशिक्षण की लागत अनुमोदित डीएवाई-एनआरएलएम इकाई लागत मानदंड के अनुसार होगी - प्रति सहभागी 2000 रु. प्रति दिन (आवास और भोजन, यात्रा, प्रशिक्षण और विविध खर्च सहित)

ग) **जिला स्तर पर सीआरपी/जीआरएस/छात्रों/सहायता व्यक्तियों का प्रशिक्षण:** एसआरएलएम द्वारा अनुमोदित यूनिट लागत मानदंडों के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से सीआरपी/ जीआरएस/छात्रों/सहायता व्यक्तियों के प्रशिक्षण की लागत वहन की जाएंगी (भोजन व्यवस्था, आवास, यात्रा, प्रशिक्षण हॉल की लागत, जहां कहीं भी लागू हो संसाधन व्यक्तियों का मानदेय और विविध व्यय सहित)

घ) **सीआरपी/अन्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को भुगतान:** एसआरएलएम या तो सभी सीआरपी के मानदेय और यात्रा भुगतान के अपने मौजूदा मानदंडों को अपना सकते हैं और मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से ऐसी अन्य सामाजिक पूंजी का उपयोग किया जाता है या फिर निम्नलिखित दरों को अपनाते हैं:

i. **सीआरपी/छात्र/सहायता व्यक्ति के लिए मानदेय:** प्रति व्यक्ति प्रति दिन 220 रुपये

ii **सीआरपी/छात्र/ सहायता व्यक्ति के लिए स्थानीय यात्रा और भोजन की लागत:** प्रति व्यक्ति प्रति दिन 110 रुपये

ड.) **निधियों का स्रोत:** जब तक एसआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई निधियों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक एसआरएलएम सीआरपी/जीआरएस/सर्वे करने वाले किसी भी अन्य अधिकारी/विद्यार्थी और सहायता व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ लेने के लिए किए गए खर्चों की पूर्ति खुद के पास उपलब्ध निधियों की अप्रयुक्त शेष राशि से कर सकता है।

सर्वेक्षण की अनुमानित लागत

क्र. संख्या	मदें	संख्या
1	गांव पंचायतों की कुल संख्या	2.5 लाख
2	कुल गांवों की संख्या को जिन्हें कवर किया जाएगा	649481
3	1 गाँव को कवर करने के लिए आवश्यक श्रम दिवसों की संख्या	2
4	प्रति व्यक्ति प्रति दिन मानदेय, स्थानीय यात्रा और भोजन (रु. में)	330
सर्वेक्षण की लागत (गाँव*आदमी दिन*मानदेय) (रु. में)		**42.80 करोड़**

जिला स्तर पर सीआरपी/जीआरएस/छात्रों के प्रशिक्षण की अनुमानित लागत

क्र. संख्या	मदें	संख्या
1	15 दिनों में कवर किए जाने वाले गाँवों की संख्या	649481
2	प्रति दिन कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	43299
3	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और @2(649481*2) से प्रति टीम की तैनाती की जाएगी।	1298962
4	जिला स्तर पर प्रति प्रतिभागी के प्रशिक्षण की इकाई लागत (रु में)	1100
जिला स्तर पर एक दिन के प्रशिक्षण की लागत (व्यक्ति* इकाई लागत) (रु. में)		**142 करोड़**

राज्य स्तर पर जिला प्रशिक्षकों की अनुमानित लागत

क्र. संख्या	मदें	संख्या
1	जिलों की संख्या	725
2	प्रति जिले में संसाधन व्यक्तियों की संख्या	8
3	प्रशिक्षित किए जाने वाले जिला संसाधन व्यक्तियों की कुल संख्या	5800
4	राज्य स्तर पर प्रति प्रतिभागी प्रशिक्षण की इकाई लागत (रु में)	2200
राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण की लागत (जिला संसाधन व्यक्तियों*इकाई लागत) (रु. में)		**1.27 करोड़**

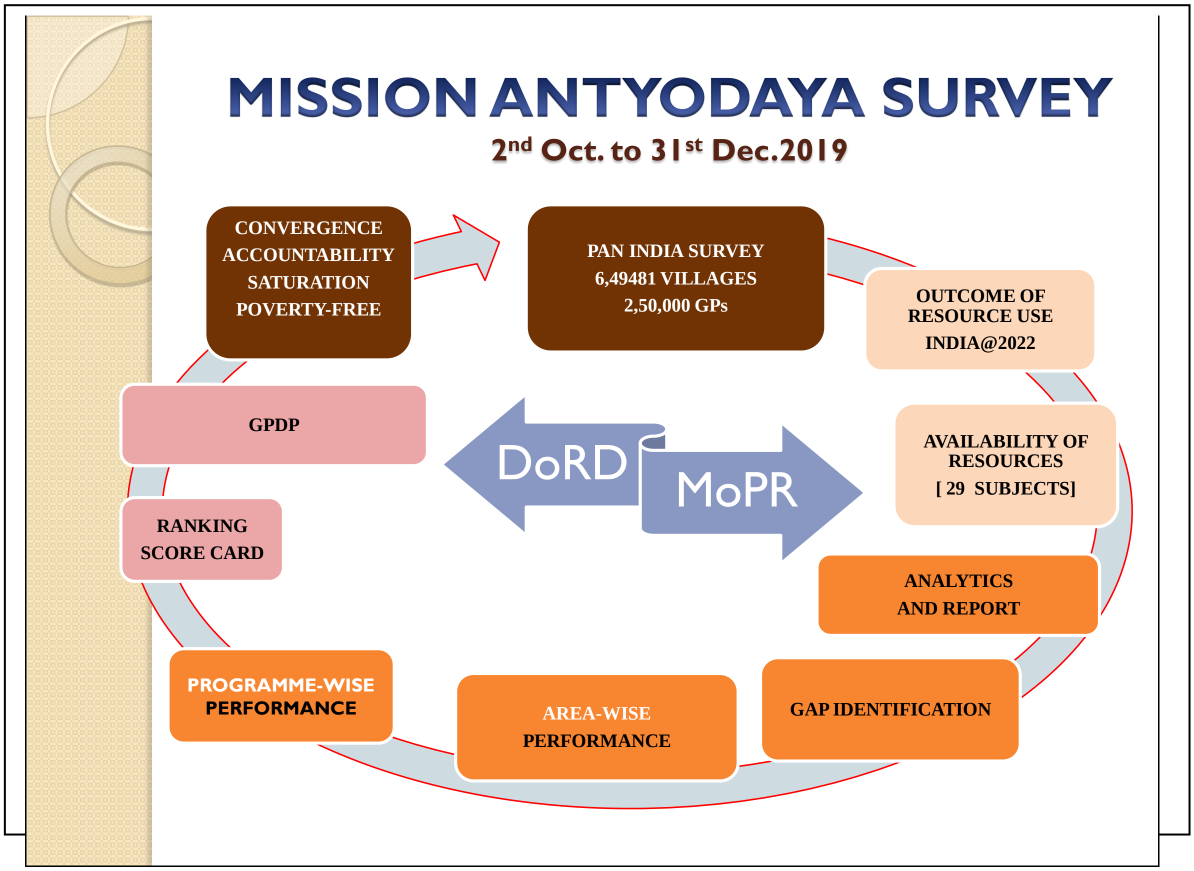
MISSION ANTYODAYA SURVEY
2nd Oct. to 31st Dec.2019
CONVERGENCE
ACCOUNTABILITY
SATURATION
POVERTY-FREE
PAN INDIA SURVEY
6,49481 VILLAGES
2,50,000 GPs
OUTCOME OF
RESOURCE USE
INDIA@2022
GPDP
DoRD
MoPR
AVAILABILITY OF
RESOURCES
[29 SUBJECTS]
RANKING
SCORE CARD
ANALYTICS
AND REPORT
PROGRAMME-WISE
PERFORMANCE
AREA-WISE
PERFORMANCE
GAP IDENTIFICATION

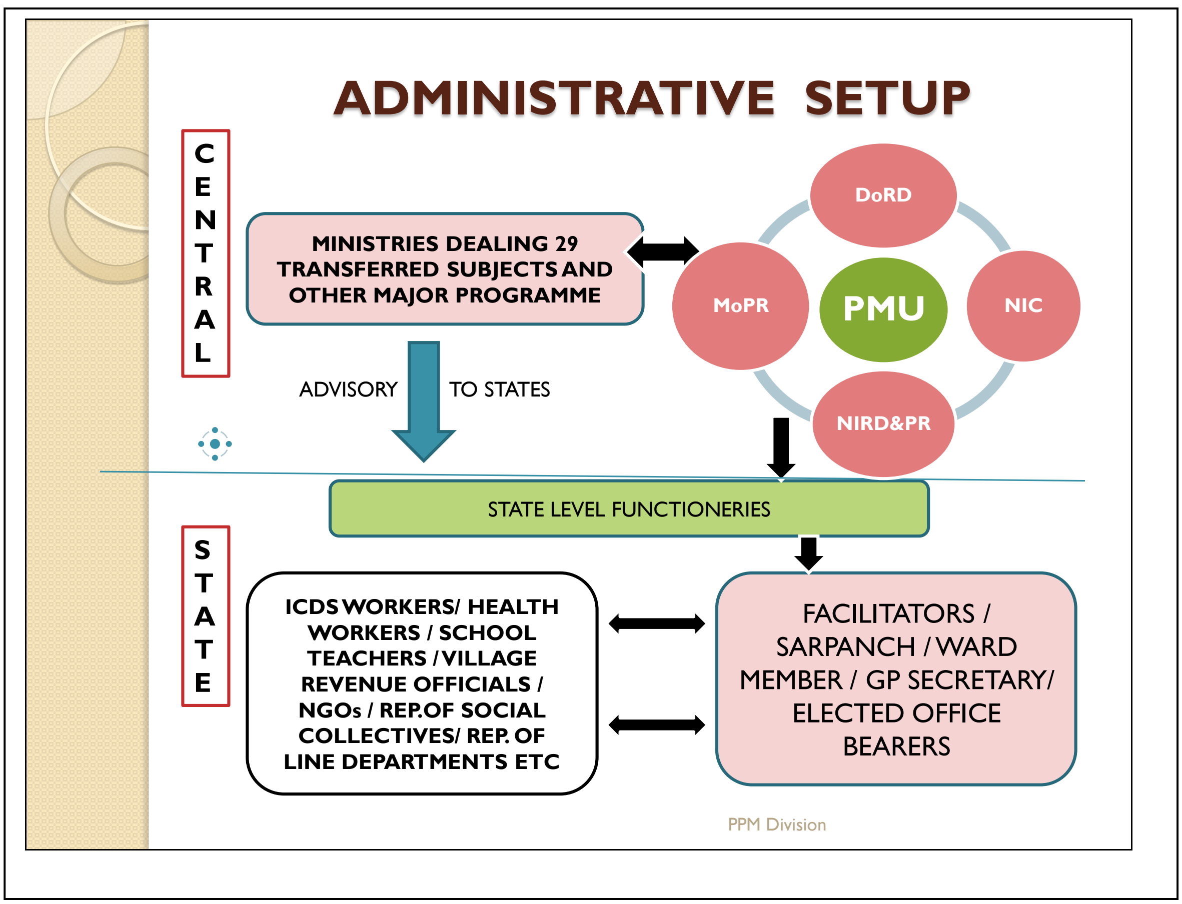
ADMINISTRATIVE SETUP
CENTRAL
MINISTRIES DEALING 29
TRANSFERRED SUBJECTS AND
OTHER MAJOR PROGRAMME
DoRD
MoPR
PMU
NIC
NIRD&PR
ADVISORY
TO STATES
STATE LEVEL FUNCTIONERIES
STATE
ICDS WORKERS/ HEALTH
WORKERS / SCHOOL
TEACHERS / VILLAGE
REVENUE OFFICIALS /
NGOs / REP.OF SOCIAL
COLLECTIVES/ REP. OF
LINE DEPARTMENTS ETC
FACILITATORS /
SARPANCH / WARD
MEMBER / GP SECRETARY/
ELECTED OFFICE
BEARERS
PPM Division

ADMINISTRATIVE SETUP

FOCAL POINT (SNO)	• ADDL. CHIEF SECRETARY /PRINCIPAL SECRETARY / SECRETARY, (RD / PR)
STATE RESOURCE PERSON	• STATE MISSION DIRECTOR / OTHER OFFICERS AS APPOINTED BY STATE
DISTRICT RESOURCE PERSON	• CDO / PROJECT DIRECTOR
FACILITATORS / SURVEYOR	COMMUNITY RESOURCE PERSONS(CRPs)/GRS/STUDENTS ETC

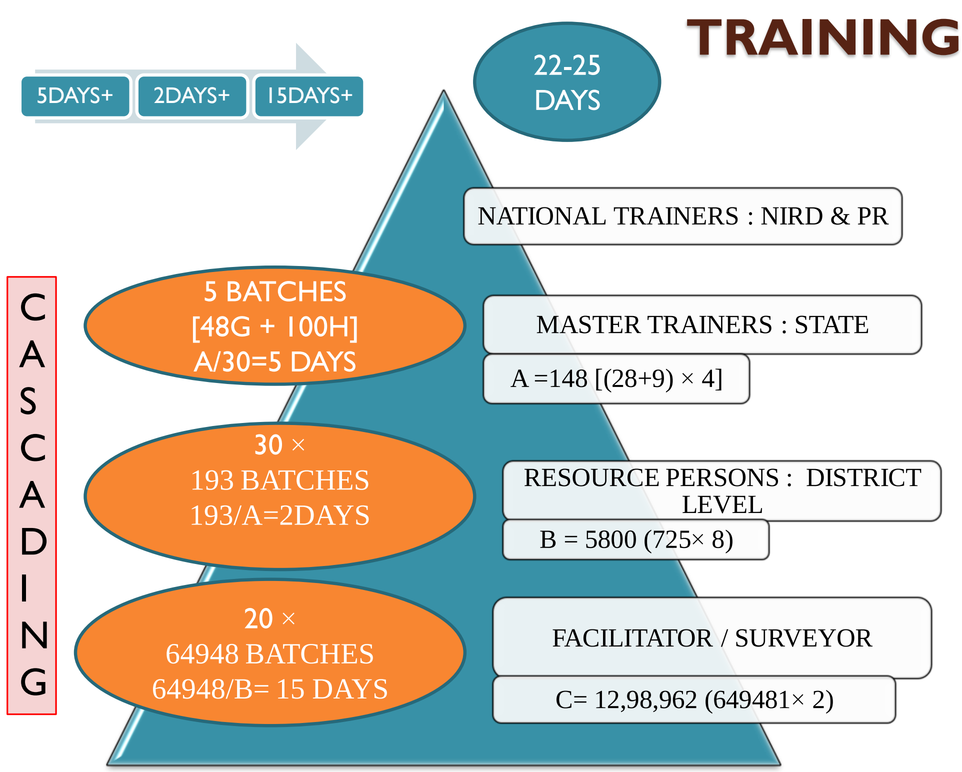

एम ए सर्वेक्षण मापदंड

भाग - ए		भाग - बी		कुल
विषय	मापदंडों की संख्या	क्षेत्र	मापदंडों की संख्या	मापदंडों की संख्या [भाग ए +बी]
29	110	5	36	146

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रश्नावली: भाग - क

भाग क (110 मापदंड) 29 विषयों को कवर करते हुए 4 व्यापक समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है और भाग ख (36 मापदंड)

मापदंड			वर्तमान अधिकतम स्कोर	प्रस्तावित भार	संशोधित अधिकतम स्कोर	सूचना का स्रोत
1	**मूल मापदंड**	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र				जनगणना / पंचायत कार्यालय
		यदि एक से अधिक वि.नि.क्षेत्र है, तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम दर्ज करें				जनगणना / पंचायत कार्यालय
2		संसद निर्वाचन क्षेत्र				जनगणना / पंचायत कार्यालय
3		कुल जनसंख्या				जनगणना / पंचायत कार्यालय
4		पुरुष				जनगणना / पंचायत कार्यालय
5		महिला				जनगणना / पंचायत कार्यालय
6		कुल परिवार				जनगणना / पंचायत कार्यालय
7	**कृषि**	कृषि क्रियाकलापों में मुख्य रूप से कार्यरत परिवारों की संख्या				कृषि अधिकारी / ग्राम प्रशासनिक अधिकारी
8		गैर-कृषि क्रियाकलापों में मुख्य रूप से कार्यरत परिवारों की संख्या				कृषि अधिकारी / ग्राम प्रशासनिक अधिकारी
		सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता (हाँ-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
9		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम स्थान की दूरी जहां पर				पंचायत सचिव

		सुविधा उपलब्ध है *(<1 किमी=1; 1-2 किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी=4; >10 किमी=5)*				
10		क्या यह गांव जलागम विकास परियोजना का भाग है (हाँ-1; नहीं-2)				सीआरपी / कृषि अधिकारी
11		सामुदायिक वर्षा जल संचयन प्रणाली/तालाब/बांध/चेक डैम आदि की उपलब्धता। (हां-1; नहीं-2)				सीआरपी / कृषि अधिकारी
12		क्या गॉव में कोई किसान सामूहिक है - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)=1, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस)=2, दोनों=3 या कोई नहीं=4				कृषि अधिकारी
		खाद्यान्न भंडारण गोदाम की उपलब्धता (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
13		यदि गॉव में उपलब्ध नहीं है, तो खाद्यान्न भंडारण के लिए निकटतम गोदाम की दूरी; (<1किमी=1; 1-2 किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी=4; >10 किमी= 5)				लागू नहीं
14		ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
15		क्या गाँव में कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि-उपकरण) की पहुँच है (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
16	**भूमि सुधार और लघु सिंचाई**	कृषि योग्य क्षेत्र (हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से भाग करें				वीआरओ
		कुल बुवाई क्षेत्र (हेक्टेयर में), यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी
		खरीफ …………(हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी
		रबी …………(हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी

17		अन्य …………(हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी
		मृदा परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
18		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम मृदा परीक्षण केंद्र की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी=4; >10 किमी =5)				लागू नहीं
		उर्वरक दुकान की उपलब्धता (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
19		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम उर्वरक दुकान की दूरी; (<1 किमी=1; 1-2 किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी =4; >10 किमी =5)				लागू नहीं
20		सिंचाई का मुख्य स्रोत (नहर -1; सतही जल -2; भूजल (नलकूप/कुआं/पंप)-3 ; अन्य-4)				कृषि अधिकारी
21		ड्रिप इरिगेशन/स्प्रिंकलर सिंचाई की उपलब्धता (हां-1; नहीं-2)				कृषि अधिकारी
22		सिंचित कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी
23		कुल असिंचित भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				कृषि अधिकारी
24		क्या गाँव में पशुधन विस्तार सेवाएं हैं; पशुधन विस्तार अधिकारी = 1, पशुसखी = 2, पशुमित्रा/ गोपालमित्र या समान = 3				पंचायत सचिव
25	**पशुपालन**	दुग्ध संग्रह केंद्र /मिल्क रूट्स /शीतलन केंद्रों की उपलब्धता (हाँ -1; संख्या -2)				पशुधन विस्तार अधिकारी, पशु सखी, पशु मित्र, गोपाल मित्र
26		कुक्कुट विकास का समर्थन करने वाली कोई भी परियोजना (हां-1; नहीं-2)				
27		बकरी विकास का समर्थन करने वाली कोई भी परियोजना (हाँ -1; संख्या -2)				

28		सुअर विकास का समर्थन करने वाली कोई भी परियोजना (हाँ -1; संख्या -2)				
		पशु चिकित्सा क्लीनिक या अस्पताल की उपलब्धता (हां-1; नहीं -2)				
29		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम पशु चिकित्सा क्लीनिक या अस्पताल की दूरी; (<1 किमी=1; 1-2 किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी=4; >10 किमी = 5)				लागू नहीं
30		मछली पालन - आंतरिक मत्स्य पालन/ तटीय मत्स्य पालन / कोई अन्य (हां-1; नहीं-2)				मात्स्यिकी विभाग
31		मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक तालाब का उपयोग किया गया (हां-1; नहीं-2)				
	मछली पालन	मत्स्यपालन के लिए विस्तार सुविधा (हां-1; नहीं-2)				
32		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम विस्तार सुविधाओं तक की दूरी; (<1 किमी=1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी =4; >10 किमी =5)				लागू नहीं
33	**ग्रामीण आवास**	कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले परिवार की संख्या (कच्ची दीवार है ... 1.घास / घासफूस / बांस आदि, 2 प्लास्टिक / पॉलिथीन, 3 मिट्टी / अधजली ईंट, 4 लकड़ी, 5 मार्टर के साथ पैक नहीं किया हुआ पत्थर, कच्ची छत है ... 1.घास / घासफूस / बांस / लकड़ी / मिट्टी आदि, 2. प्लास्टिक / पॉलिथीन, 3 हाथ से बनी टाइल्स				पंचायत कार्यालय
34		उन परिवारों की संख्या जिनको पीएमएवाई घर मिला है (पूर्ण निर्मित या				

		स्वीकृत)				
35		स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों की संख्या				
36		किसी भी राज्य विशिष्ट आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या ?				
37		राज्य विशिष्ट आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में रहने वाले परिवारों की संख्या ?				
	पेयजल	पाईप नल के पानी की उपलब्धता (यदि पाइप से पानी उपलब्ध होता है, तो आपूर्ति के घंटे के संदर्भ में उपलब्धता) (1) 100% बसावटों को कवर किया गया (2) 50 to 100% बसावटों को कवर किया गया (3) <50% बसावटों को कवर किया गया (4) केवल एक बसावट को कवर किया गया (5) कवर नहीं किया गया)				पंचायत कार्यालय
38		यदि गाँव में कवर नहीं किया गया है, तो निकटतम पाईपड टैप वाटर सुविधाओं तक की दूरी; *(<1* किमी*=1; 1-2* किमी*=2; 2-5* किमी*=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
		क्या गाँव बारहमासी सड़क से जुड़ा है (हां-1; नहीं-2)				पंचायत कार्यालय
39	**सडकें**	यदि नहीं है तो निकटतम बारहमासी सड़क तक की दूरी*; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; 10 और अधिक* किमी *=5)*				लागू नहीं
40		*क्या गाँव में आंतरिक पक्की सड़कें हैं (सीसी/ ईंट सड़क) (पूरी तरह से कवर -1; आंशिक रूप से कवर -2; कवर नहीं किया गया -3)*				पंचायत कार्यालय

		सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (बस -1; वैन -2; ऑटो -3; कोई नहीं -4)				सार्वजनिक
41		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम सार्वजनिक परिवहन सुविधा तक की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी = 5)				लागू नहीं
		रेलवे स्टेशन की उपलब्धता (हां-1; नहीं -2)				सार्वजनिक
42		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम रेलवे स्टेशन तक की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी = 5)				लागू नहीं
43	**ग्रामीण विद्युतीकरण**	घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता (1-4 घंटे-1; 4-8 घंटे -2; 8-12 घंटे -3; >12 घंटे -4; बिजली नहीं -5)				लाइनमैन बिजली विभाग
44		सौभाग्य योजना के तहत लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या				
45		एमएसएमई इकाइयों को बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं-2)				
	गैर-पारंपरिक ऊर्जा.	घर के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा/ पवन ऊर्जा का उपयोग (हाँ -1; नहीं -2)				
46		यदि हाँ, तो सौर ऊर्जा / पवन ऊर्जा द्वारा विद्युतीकृत घरों की संख्या				
47	**सामुदायिक संपत्ति का**	पंचायत भवन की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत कार्यालय

48	**रखरखाव**	क्या गाँव में एक आम सेवा केन्द्र (सीएससी) है (पंचायत भवन साथ सह-स्थित-1; अलग स्थित -2; कोई सीएससी नहीं -3)				
49		लोक योजना अभियान के तहत जन सूचना बोर्ड की उपलब्धता (उपलब्ध नहीं -1, उपलब्ध और अद्यतन -2; उपलब्ध है लेकिन अद्यतन नहीं है -3)				
50	**ईंधन और चारा**	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सामान्य चारागाह (हाँ -1; नहीं -2)				राजस्व / वन विभाग
51		प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का लाभ उठा रहे परिवारों की संख्या				पंचायत सचिव
	पुस्तकॉलय	सार्वजनिक पुस्तकालय की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत सचिव
52		यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम सार्वजनिक पुस्तकालय की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी = 5)				लागू नहीं
53	**सांस्कृतिक क्रियापलाप**	मनोरंजन केंद्र /खेल मैदान आदि की उपलब्धता (इंडोर -1, आऊटडोर -2, दोनों -3, कोई नहीं -4)				पंचायत सचिव
	वित्तीय और संचार अवसंरचना	बैंकों की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				एमपीडीओ, पंचायत कार्यालय
54		*यदि गाँव में बैंक उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम बैंक की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *=5)*				लागू नहीं
55		इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ व्यापार संवाददाता की उपलब्धता ?				पंचायत सचिव
		एटीएम की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं-2)				पंचायत सचिव

56		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम एटीएम की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी =5)*				लागू नहीं
57		जन-धन बैंक खाते वाले परिवारों की संख्या				*निकटतम* बैंक
		डाकघर /उप डाकघर की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत सचिव
58		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम डाकघर की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी =5)*				लागू नहीं
59		टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता (लैंडलाइन-1; मोबाइल-2; दोनों -3; कोई भी नहीं -4)				वीएओ/ टीआरएआई वेबसाईट
60		इंटरनेट / ब्रॉडबैंड सुविधा की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत सचिव
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत सचिव
61	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**	*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुविधा की दूरी; (<1 किमी =1; 1-2 किमी =2; 2-5 किमी =3, 5-10 किमी =4; >10 किमी =5)*				लागू नहीं
62		बीपीएल राशन कार्ड रखने वाले परिवारों की संख्या				नागरिक आपूर्ति विभाग
	शिक्षा	प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2) यदि हां तो				स्कूल शिक्षक / एचएम/प्रधानाचार्य/ माता-पिता शिक्षक संघ / सरपंच
		बिजली के साथ (हाँ -1; नहीं -2)				
		शौचालय- लडकों का शौचालय = 1, लडकियों का शौचालय = 2, दोनों = 3, कोई नहीं = 4				
		कंप्यूटर लैब के साथ (हाँ -1; नहीं -2)				
		खेल मैदान: (हाँ -1; नहीं -2)				

		पेय जल : (हाँ -1; नहीं -2)			
		मध्याह्न भोजन योजना की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)			
		प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या			
		प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			
63		*यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम प्राथमिक विद्यालय की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*			
		माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)			
64		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम* माध्यमिक विद्यालय *की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*			
		हाई स्कूल की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)			
65		*यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम हाई स्कूल की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*			
		उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)			
66		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम* उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की *दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*			

67		स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या				
		डिग्री कॉलेज की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				
68		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम डिग्री कॉलेज की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				
69		गाँव में स्नातक / स्नातकोत्तर की संख्या				
		व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र / पॉलिटेक्निक / आईटीआई / आरसेटी/ डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				सीआरपी / एसएचजी
70	व्यावसायिक शिक्षा	*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/ पॉलिटेक्निक / आईटीआई / आरसेटी/ डीडीयू-जीकेवाई की दूरी;; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
71		किसी भी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या				सीआरपी / एसएचजी
		बाजारों की उपलब्धता (मंडि -1; नियमित बाजार -2; साप्ताहिक हाट-3; कोई नहीं -4)				सीआरपी / एसएचजी
72	**बाजार और मेले**	*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम बाजार की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
	स्वास्थ्य और स्वच्छता	उप केंद्र पीएचसी/ सीएचसी की उपलब्धता (पीएचसी-1; सीएचसी-2; उप केंद्र -3, कोई नहीं = 4)				आशा / एएनएम

73		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम सीएचसी / पीएचसी / उप केंद्र की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
74		जन औषधि केंद्र की उपलब्धता (हाँ - 1; नहीं -2)				आशा / एएनएम
		प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)/ राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के लिए पंजीकृत परिवारों की संख्या				आशा / एएनएम
75		पीएमजेएवाई*/ राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूची में सम्मिलित अस्पताल की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
76		जल निकासी सुविधाओं की उपलब्धता (बंद जल निकासी -1; खुले पक्के जल निकासी जो टाइल स्लैब से बंद है -2; खुले पक्के जल निकासी जिसे कवर नहीं किया गया है -3; खुला कच्चा जल निकासी -4; कोई जल निकासी नहीं -5)				पंचायत सचिव
77		सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली (हाँ -1; नहीं -2)				
78		स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवारों की कुल संख्या (एलपीजी / बायो गैस)				
79		सामुदायिक बायो गैस या कचरे का रीसाईकिल (हाँ- 1; नहीं -2)				
80		क्या गाँव खुले में शौच से मुक्त है (ओडीएफ) है (हाँ -1; नहीं -2)				

		आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				
81		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है; तो निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
82		क्या आंगनवाड़ी में प्रारंभिक बचपन शिक्षा प्रदान की जाती है (हाँ -1; नहीं -2)				आशा / एएनएम
83		गाँव में 0-3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या				
84		आंगनवाड़ी में पंजीकृत 0-3 वर्ष आयु के बच्चों की कुल संख्या				
85	**महिला एवं बाल विकास**	आंगनवाड़ी में पंजीकृत 3-6 वर्ष आयु के बच्चों की कुल संख्या				
86		प्रतिरक्षित 0-3 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या				
87		आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार गैर - अविकसित के रूप में वर्गीकृत बच्चों की संख्या				
88		रक्तहीनता से पीडित गर्भवती महिलाओं की संख्या				
89		रक्तहीनता से पीडित किशोर लडकियों की संख्या				
90		6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या जो कम वजन के हैं				
91		लडकों की संख्या (0-6 वर्ष)				
92		लडकियों की संख्या (0-6 वर्ष)				
93	**सामाजिक कल्याण**	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक				

		बच्चों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है				
94		एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या जिन्हें बैंक ऋण प्राप्त हुआ है				
95		शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियॉ जिन्होंने प्रत्यारोपण और उपकरण प्राप्त किए हैं				
96	**परिवार कल्याण**	2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या				
		माता और बाल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				
97		*यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम माँ और बाल स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी; (<1* किमी *=1; 1-2* किमी *=2; 2-5* किमी *=3, 5-10* किमी *=4; >10* किमी *= 5)*				लागू नहीं
98	**कमजोर वर्गों का कल्याण**	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत पेंशन पाने वाले परिवारों की संख्या (वृद्धावस्था / विकलांगता / विधवा / राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)				पंचायत सचिव
99	**गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम**	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या				वीओ / एसएचजी सदस्य
100		एसएचजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या				सीआरपी / वीओ / पंचायत सचिव
101		ग्राम संगठनों (एसओ) में सम्मिलित एसएचजी की संख्या				
102		उत्पादक समूहों (पीजी) में जुटाए गए परिवारों की संख्या				
103		एसएचजी की संख्या जिन्होंने बैंक ऋणों की संप्राप्ति किया है				
104	**खादी, गाँव**	मधुमक्खी पालन (हाँ -1; नहीं -2)				

105	**और कुटीर उद्योग**	रेशम कीट उत्पादन (रेशम उत्पादन) (हाँ -1; नहीं -2)				
106		हथकरघा (हाँ -1; नहीं -2)				
107		हस्तशिल्प (हाँ -1; नहीं -2)				
108	**सामाजिक वानिकी**	सामुदायिक वन की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				एएओ
109	**लघु वन-उपज**	लघु वन उत्पादन की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				बीडीओ/ आईटीडीए
110		ऐसे परिवारों की संख्या जहां आजीविका का एकमात्र स्रोत लघु वन उत्पादन है				
	लघु उद्योग	कुटीर और लघु स्तर इकाइयों की उपलब्धता (निर्माण / निर्माण सामग्री / डेयरी आधारित / कपड़ा आदि) (हाँ -1; नहीं -2)				बीडीओ
111		यदि हाँ, तो ऐसी इकाईयों में लगे परिवारों की संख्या				
	वयस्क और गैर-औपचारिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)				पंचायत सचिव
112		*यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम वयस्क शिक्षा केंद्र तक की दूरी; (<1किमी=1; 1-2किमी=2; 2-5 किमी=3, 5-10 किमी=4; >10 किमी = 5)*				

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रश्नावली: भाग-ख

क्र.सं	विषय	मापदंड	वर्तमान अधिकतम स्कोर	प्रस्तावित भार	संशोधित अधिकतम स्कोर	सूचना का स्रोत
1	स्वास्थ्य और पोषण	आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या				आशा / एएनएम
2		आईसीडीएस के तहत प्रतिरक्षित बच्चों (0-6 वर्ष) की कुल संख्या				
3		गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या				
4		आईसीडीएस के तहत सेवा प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की संख्या				
5		स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या				
6		आईसीडीएस के तहत सेवाएं प्राप्त कर रही स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या				
7		उन महिलाओं की कुल संख्या जिन्होंने अस्पतालों में शिशुओं को जन्म दिया जो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पंजीकृत हैं				
8		आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच्चों की कुल संख्या				
9		आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रक्तहीनता से पीडित युवा				

		बच्चों की संख्या (6-59 महीने)				
10		वर्ष 2018-19 के दौरान नवजात बच्चों की कुल संख्या				
11		वर्ष 2018-19 के दौरान कम वजन वाले नवजात बच्चों की संख्या				
12		स्वच्छ शौचालय न रखने वाले परिवारों की संख्या				पंचायत सचिव
13	**सामाजिक सुरक्षा**	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या				पंचायत सचिव / उचित मूल्य दुकान / कृषि अधिकारी / पीएचसी
14		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या				
15		आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य सरकार की कोई भी स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या				
16		आयुषमान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य सरकार की कोई भी स्वास्थ्य योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की कुल संख्या				
17		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र परिवारों की कुल संख्या				
18		उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे परिवारों की कुल संख्या				
19		प्रधानमंत्री किसान पेंशन				

		योजना (पीएमकेपीवाई) के तहत पंजीकृत किसानों की कुल संख्या				
20		प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (पीएमकेपीवाई)की सदस्यता प्राप्त 18-40 वर्ष की आयु वाले किसानों की कुल संख्या				कृषि अधिकारी / सहायक कृषि अधिकारी (एओ /एएओ)
21		मृदा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किसानों की संख्या				
22		पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत लाभ प्राप्त किसानों की संख्या				
23		2018-19 के दौरान जैविक खेती को अपनाए हुए किसानों की संख्या				
24		निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या				पंचायत सचिव
25	**सुशासन**	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उन्मुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या				
26		राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या				

27	**जल प्रबंधन और दक्षता**	वर्ष 2018-19 के लिए कुल स्वीकृत श्रम बजट				जीआरएस
28		वर्ष 2018-19 के लिए श्रम बजट में एनआरएम के तहत स्वीकृत कुल व्यय)				सीआरपी
29		सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए कुल क्षेत्र (ड्रिप, स्प्रिंकलर) यदि एकड़ में है तो 2.47 से विभाजित करे				एओ /एएओ
30		पाइप जल कनेक्शन वाले घरों की संख्या				पंचायत सचिव

अध्याय 10: भारत सरकार की पंचायतें और अभियान

1. स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच करना और पेयजल और नहाने के पानी का दूषित होना भारत में एक स्थानिक स्वच्छता समस्या है। विकासशील देशों की सूची में भारत को उन देशों में रखा गया है जहां लोग खुले में शौच करते हैं। वर्ष 2010 में यूएन स्वच्छता अध्ययन में कहा गया है कि भारत में शौचालय की तुलना में मोबाइल फोन कही अधिक हैं, जिनमें से लाखों लोग शौचालय की बुनियादी आवश्यकता को वहन करने और सम्मान को बनाए रखने में असमर्थ हैं। यह गणना की गई थी कि लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण भारतीय आबादी खुले में शौच करती है जो स्वास्थ्य और स्वस्थ्य जीवन पर खासकर महिलाओं और बच्चों सहित कमजोर समूहों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है ।

महिलाओं के सम्मान से जुड़ी बहुआयामी गरीबी को दूर करने के लिए स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण संकेतक मानते हुए दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की गई थी। अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी के जन्मदिवस की 150 वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए 02 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना है जिन्होंने "स्वच्छता ही देवतुल्य है" की संकल्पना का प्रचार किया था। यह 1.96 लाख करोड़ रू. (यूएस $ 28 बिलियन) की अनुमानित लागत से ग्रामीण भारत में 90 मिलियन शौचालय बनाने वाली एक मिशन मोड परियोजना है।

मिशन की दो बातों: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी); एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत के उद्देश्यों में परिवार के स्वयं के और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करना और शौचालय के उपयोग की निगरानी करने के लिए एक जवाबदेह तंत्र को स्थापित करना शामिल है। यह मिशन स्थायी विकास लक्ष्य 6-स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) की प्राप्ति में सहयोग करेंगा ।

एसबीएम-जी के उद्देश्य, जहां पर ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं:

- स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा को बढ़ावा देने और खुले में शौच को समाप्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना ।

- 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना ।

- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समुदायों को स्थायी स्वच्छता कार्यप्रणालियों और सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

- पर्यावरणात्मक रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए लागत किफायती और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता विकसित करने के लिए जहां पर भी आवश्यक हो, वैज्ञानिक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान देते हुए सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना।

- महिलाओं और पुरूषों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए और विशेष रूप से वंचित समुदायों में स्वच्छता में सुधार लाते हुए सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि में इन उद्देश्यों के साथ दिनांक 23 अगस्त 2019 तक एसबीएम-जी के अंतर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार है:

- वर्ष 2014-15 से 9,97,55,615 पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- वर्ष 2019-20 में शौचालय कवरेज दर का 99.98 प्रतिशत है जबकि 2014-15 में यह 43.35 प्रतिशत थी।

- वर्ष 2019-20 में 12,89,318 शौचालय बनाए गए हैं।

- 32 राज्यों को ओडीएफ घोषित किया गया है।

- 639 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है।

- 2,55,698 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया है।

- 590098 गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है।
- ग्रामीण जनसंख्या के 63.3 प्रतिशत लोग ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

अभियान को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एसबीएम के उद्देश्यों को इस प्रकार संशोधित किया गया :

- अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत द्वारा ओडीएफ प्राप्त करना ।
- सभी बीपीएल परिवार, अनु.जा./अनु.जन.जाति सहित एपीएल परिवार दिव्यांग, छोटे और सीमांत किसान तथा भारत में महिला प्रमुख परिवारो द्वारा शौचालय तक पहुँच और उसका उपयोग ।
- शौचालयों के उपयोग, स्थायी और पर्याप्त 'संचालन और रखरखाव' (ओ एंड एम) को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों को चलाते हुए व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देना ।
- सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) की योजना और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ।
- अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और अनिवार्य बनाना तथा स्वच्छता को “प्रत्येक” के लिए ?
- अधिकतम संभाव्य सीमा तक ग्रामीण परिवारों को परिसर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना और उन्हें इसका उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना ।
- फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित बस्तियॉ, जेई/एईएस प्रभावित बस्तियॉ, एसएजीवाई ग्राम पंचायतों और ओडीएफ गांवों पर ध्यान देना ।
- समुदाय आधारित जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय मार्गदर्शक सिद्धांत होने के लिए, विश्वसनीयता, सततता, सुविधा, समता और उपभोक्ता की प्राथमिकता को सुनिश्चित करना ।

यह कार्यक्रम वर्ष 2019 में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाला है। चूंकि इसका उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, इसलिए सरकार का ध्यान ओडीएफ स्थिरता पर है। जिसके माध्यम से शौचालय का उपयोग करना और उसका स्थायी रख-रखाव करना है। कार्यक्रम का एक और मुख्य आकर्षण ओडीएफ प्लस है, जो जमीनी स्तर पर और साथ ही शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए, ओडीएफ स्थिरता और ओडीएफ प्लस को प्राप्त करने में ग्राम पंचायत की भूमिका निम्नानुसार हो सकती है:

- जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन।
- एसएलडब्ल्यूएम के लिए स्थान आबंटित करना।
- एसएलडब्ल्यूएम के निर्माण और रखरखाव के लिए मनरेगा योजना जैसी तालमेल वाली योजनाएं।
- अभिसरण नियम बनाना और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई।
- स्वच्छता क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए वीडब्ल्यूएससी को सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन और ग्राम पंचायत विकास योजना को एस डी पी - 6 के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को शामिल करना ।

देश के समक्ष स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जल संकट और सकल उपयोग प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। स्वच्छता के एक भाग के रूप में, भारत सरकार अब जल शक्ति मंत्रालय बनाकर जल संरक्षण कार्य को प्राथमिकता दे रही है और दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है; जिससे कि एसडीजी 6 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2. एकल उपयोग प्लास्टिक पर अभियान

एकल उपयोग प्लास्टिक को किसी भी ऐसी प्लास्टिक वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक बार उपयोग किए जाने के बाद फेंक दिया जाना चाहिए और रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्रायः गलती से पॉलीथीन कैरी बैग को एकल-उपयोग प्लास्टिक मान लिया जाता है । तंबाकू जैसे उत्पादों की पैकिंग के लिए मल्टिलेयर सैशे सबसे हानिकारक एकल-उपयोग प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन-2016 के नियम गुटखा/तम्बाकू और पान मसाले के भंडारण और बिक्री के लिए उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन इसे शायद ही लागू किया जाता है। स्नैक्स जैसे चिप्स और फ्राइज़, चॉकलेट,पेय पदार्थ आदि के लिए पैकेजिंग समान रूप से हानिकारक हैं। ये सर्वव्यापी पैकेज रिसाईकिल नहीं होते ।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है । प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से वर्ष 2022 तक देश को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया और भारत में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग समाप्त

करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की संभावना जताई । भारत का उद्देश्य दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रहने वाले 1.3 बिलियन लोगों से प्लास्टिक के उपयोग को रोकना है। साथ ही इसने दुनिया भर के 60 देशों में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का सबसे महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है।

पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश द्वारा उपभोग किए जाने वाले प्लास्टिक का लगभग 70% फेंक दिया जाता है और अधिकांश भारतीय शहरों में अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं होता है। नियमों के अनुसार एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक 50 माइक्रोन से कम नहीं होंगे,सिवाय इसके कि इस तरह की प्लास्टिक शीट की मोटाई उत्पाद की कार्यक्षमता को बाधित करती हो।

"विश्व पर्यावरण दिवस-2019 पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार केन्या में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध, श्रीलंका में स्टायरोफोम पर प्रतिबंध और चीन में बायोडिग्रेडेबल बैग के उपयोग सहित दर्जनों देशों ने प्लास्टिक को कम करने का काम किया है। कई विकासशील देशों में प्लास्टिक बैग बाढ़ का कारण बन रहे हैं। कई देशों में प्लास्टिक पर नियम मौजूद हैं, लेकिन इसे सही ढ़ग से लागू नहीं किया जाता है।

भारत में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,सिक्किम,तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों ने पॉलीथिन बैग,प्लास्टिक की बोतलें और टेट्रा पैक,एकल उपयोग वाली स्ट्रा,प्लास्टिक/स्टायरोफोम चाय के कप/कंटेनर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, बिहार जैसे कई राज्यों ने केवल पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रेलवे ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 से ट्रेनों सहित अपने परिसर में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रत्येक ग्राम पंचायत या तो स्वयं या किसी बाह्य एजेंसी को अनुबंधित करके उनके नियंत्रण में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए संचालन और समन्वय एवं संबंधित कार्य करने की व्यवस्था करेगी ।

क) वैध्य पंजीकरण वाले रिसायकलर को अपशिष्ट अंश के पृथक्करण, संग्रह, भंडारण, परिवहन, प्लास्टिक अपशिष्ट और चैनलाइजेशन को सुनिश्चित करना ; और यह भी सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न हो;

ख) सभी स्टेकहोल्डर्स को उनके दायित्वों के बारे में जागरूकता बढाना; तथा

ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक के अपशिष्ट को जलाने से नालियाँ अवरुद्ध नहीं होती हैं, या मवेशी उसे न खा रहे हो ।

ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रबंधन को शामिल कर सकती हैं।

3. फिट इंडिया मूवमेंट अभियान

भारत सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र होने के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2019 को देश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 'फिट इंडिया मूवमेंट' के नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया । इस नई पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से जमीनी स्तर वाले समुदायों के साथ कार्य करने वाले गांवों को स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। दिनांक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट 'स्वच्छ भारत' मिशन से मेल खाने के पैमाने और लोगों तक इसकी पहुंच का निर्धारण करेगा। इस बारे में प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 'मन की बात' कार्यक्रम में फिटनेस आंदोलन का आह्वान किया था। फिट इंडिया मूवमेंट का समन्वय खेल मंत्रालय करेगा जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास,स्वास्थ्य और युवा मामलों के मंत्रालय शामिल होंगे। **'फिट इंडिया मूवमेंट' में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर एक उदाहरण नीचे दिया गया है:**

1. ग्राम पंचायत स्तर पर एक वार्ड सदस्य को **"ग्रामीण खेल और स्वस्थता समन्वयक"** के रूप में नामित किया जा सकता है। उन्हें फिटनेस और क्रियाकलापों के महत्व के बारे में प्रशिक्षण और मौका भी दिया जा सकता है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के विभिन्न आयु समूहों द्वारा उन्हें फिट रखने के लिए किया जा सकता है। वह इसकी सलाह देते हुए और इसका प्रचार करते समय फिटनेस संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए समुदाय को एकजुट कर सकता है। इसी दौरान पंचायत वार्ड सदस्य के मोबाइल नंबर को पंचायती राज विभाग में पंजीकृत किया जा

सकता है। उनके मोबाइल नंबर को जिला खेल अधिकारी और किसी भी अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ भी साझा किया जा सकता है जो कि फिट इंडिया मूवमेंट क्रियाकलापों का समन्वय करेंगे। इसका उपयोग उसके साथ सीधे संवाद करने/उन्हें उचित संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है।

2. उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सलाह दी जाती है कि वे सभी **ग्राम सभा बैठकों** के लिए फिट इंडिया मूवमेंट को कार्यसूची मद बनाएं। खेल प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर और अन्य प्रशिक्षक इन ग्राम सभा बैठकों में फिटनेस पर अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर भी चर्चा शुरू की जा सकती है। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों से डॉक्टरों को पंचायत स्तर पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी में ग्राम पंचायतों को इसकी योजना के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट के एक घटक को शामिल करने की सलाह दी जा सकती है। फिट इंडिया मूवमेंट से संबंधित क्रियाकलाप चाहे वह पक्ष समर्थन हों या बैठकों, चर्चा और शारीरिक फिटनेस कार्य से आयोजन से संबंधित है उसे शामिल किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए वित्तीय आवंटन 14वें वित्त आयोग (एफएफसी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), पीएम आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों द्वारा उत्पन्न स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) की निधि से किया जा सकता है ।

   फिट इंडिया मूवमेंट से **संबंधित चित्र** पंचायत घर और स्कूलों सहित अन्य आय स्थानों में लगाए जा सकते हैं। ग्रामीण खेल फिटनेस समन्वयक की पहचान उपरोक्त के रूप में की जा सकती है और इसके लिए समन्वयक और प्रवर्तक हो सकते हैं।

4. फिटनेस से संबंधित नियमित क्रियाकलापों के अलावा दो प्रमुख कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा सकते हैं। यह 5 किलोमीटर की दूरी के लिए **"ग्रेट विलेज रन"** या **"ग्रामीण महादौड़"** हो सकता है, जिसे ग्रामीण खेल और फिटनेस समन्वयक द्वारा समन्वित किया जा सकता है और इसके लिए एफएफसी की निधि का उपयोग किया जा सकता है। ग्राम

पंचायत में उन लोगों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ऐसे सत्रों के लिए डॉक्टरों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।

5. ग्रामीण खेल और फिटनेस समन्वयक को ग्राम पंचायत में उपयुक्त खेल मैदान की शिनाख्तकरने का काम सौंपा जा सकता है और यह खेल विभाग और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के समन्वय से किया जा सकता है।
6. संचार को सरल बनाने के लिए पंचायत राज मंत्रालय जिसके पास सरपंचों/प्रधानों के मोबाइल नंबरों का भंडार है वे समय-समय पर फिट इंडिया मूवमेंट पर संदेश (एसएमएस) भेज सकते हैं।

कार्य के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है और सरकार औसत दर्जे का परिणाम और अभियान के लिए एक मासिक और वार्षिक अनुसूची के लिए उत्सुक है। फिटनेस को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री अब भारत के वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और हैपीनैस इंडेक्स में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसकी शुरूआत करने के लिए उन्होंने 'फिट इंडिया मूवमेंट' के विचार की संकल्पना की जिसमें सभी भारतीयों के दैनिक जीवन में शारीरिक क्रियाकलापों और खेलों को शामिल करने में मदद मिलेगी। सभी राज्यों से फिट इंडिया मूवमेंट ’को शानदार बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

फिट इंडिया मूवमेंट कैलेंडर-2019

खेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2019 जो कि अभियान का पहला वर्ष होगा, **'फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेलबिंइग'** पर ध्यान दिया जाएगा। पहले माह में शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी के साथ पूरे देश में क्रियाकलापों की श्रृंखला के साथ अभियान की शुरूआत होगी। सभी शैक्षणिक संस्थानों में खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। क्रिया को शुरू करने के लिए पूरे देश में फिटनेस रन, वॉकथॉन,साइकिल रैली और स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किए जाएंगे।

- माह-2: दूसरा माह में स्कूलों से लेकर विश्वविद्‌यालयों, गांवों, कस्बों, ब्लॉक और जिला स्तर तक सभी स्तरों पर खेल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होगा। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में घर पर या स्थानीय पार्कों, खेल के मैदान या गली-मोहल्ले में शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए।
- माह-3: तीसरा माह भारतीयों को स्वास्थ्य के संबंध में समूहों और क्लबों का गठन करने और सोशल मीडिया और वेब प्लेटफार्मों पर क्रियाकलापों को साझा करने के लिए प्रेरित

करेगा। साप्ताहिक क्रियाकलापों में शारीरिक क्रियाकलापों से जुड़े परिवारों और मित्रों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।

- माह-4: चौथा माह पड़ोस, शैक्षणिक संस्थानों, गांव और पंचायत स्तरों में सुरक्षित और भय-रहित खेल के मैदान को विकसित करने के बारे में होगा। खेल के मैदान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया जाएगा।
- माह -5: पांचवा माह पैदल, वॉकथॉन और मैराथन के बारे में होगा।
- माह-6: छठा माह साइकिलिंग के लिए होगा। योजना यह बनाई गई है कि प्रत्येक साइकिल मालिक एक गाँव से दूसरे गाँव/कस्बे में साइकिल रैली में भाग ले और राज्य मुख्यालयों तक एक श्रृंखला बनाएं ।
- माह-7: यह माह पारंपरिक और स्थानीय खेलों से लेकर संस्कृति,नृत्य नाटिका क्रियाकलापों तक सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों के लिए होगा
- माह-8: यह माह ब्लॉक/जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवकों के साझाकरण और स्वैच्छिक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए होगा।
- माह-9: राष्ट्रीय क्रियाकलापों की मान्यता देने और उत्सव मनाने के साथ इस माह का समापन होगा।

अनुबंध- 1क: ग्राम सभा योजना के कैलेण्डर का नमूना

ग्राम सभा योजना के कैलेण्डर का नमूना														
राज्य:-														
जिला:-														
ब्लॉक:-														
ग्राम पंचायत:-														
ग्राम सभा:-														
		अक्तूबर					नवम्बर				दिसम्बर			
क्र.सं.	विवरण	सप्ताह-1	सप्ताह - 2	सप्ताह - 3	सप्ताह - 4	सप्ताह - 5	सप्ताह - 6	सप्ताह - 7	सप्ताह - 8	सप्ताह - 9	सप्ताह - 10	सप्ताह - 11	सप्ताह - 12	सप्ताह -13
1	किए गए आयोजन													
2	कवर किए गए विषय (XIवीं अनुसूची के अनुसार)													
3	संबंधित विभाग													
4	कुल सदस्य													
5	पोर्टल में अद्यतन किए जाने के लिए तैयार													

अनुबंध 1ख: ग्राम पंचायत स्तरीय चर्चा संबंधी नमूना

ग्राम पंचायत स्तरीय चर्चा अनुबंध			
क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा	टिप्पणी (यदि कोई हो तो)
1	ग्राम पंचायत का नाम		
2	सरपंच का नाम		
3	स्थायी समिति के सदस्यों का नाम		
4	पंचायत सचिव		
5	ग्राम सभा के कुल सदस्य		
6	ग्राम सभा में उपस्थित कुल सदस्य		
7	ग्राम सभा में उपस्थित अन्य स्टेकहोल्डर		
8	बैठक की तारीख		
9	कवर किए गए कुल विषय (29 विषयों के 16 सैक्टर के अनुसार)		
10	कवर किए गए उप विषय		
11	कुल प्रस्तावित बजट		
12	विविध		

अनुबंध 1ग: पीपीसी 2019 के लिए क्रियाकलाप समय सीमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप	समयसीमा
1	सुविधा कर्ता प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरूआत	30 अगस्त, 2019
2	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (राज्य,जिला एवं ब्लॉक स्तर) एवं सभी नोडल अधिकारियों द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण	05 सितम्बर, 2019
3	ग्राम सभा बैठकों की समय सीमा अपलोड करना	10 सितम्बर, 2019
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति	10 सितम्बर, 2019
5	सुविधाकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा करना	16 सितम्बर, 2019
6	ग्राम सभा बैठकों के लिए संबंधित विभागों के शीर्ष कर्मचारियों की नियुक्ति	17 सितम्बर, 2019
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड का प्रदर्शन एंव पोर्टल पर इसके जियो-टैग किए गए फोटोग्राम अपलोड करना	18 सितम्बर, 2019
8	ग्राम सभा की बैठकों के जियो-टैग किए गए दृश्यों को अपलोड करना	ग्राम सभा की बैठक के तुरंत पश्चात
9	प्लान प्लस अनुप्रयोग पर स्वीकृत योजना का प्रकाशन	31 दिसम्बर, 2019

अनुबंध 2: जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु मॉडल अनुसूची

जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु मॉडल समय सूची

सबकी योजना सबका विकास

बैठक की तारीखः.........................
बैठक का स्थानः..........................

ग्राम पंचायतः.. एलजीडी कोडः...

ब्लॉक/तालुका.....................................जिला..............................राज्य....................................

- **बैठक का एजेंडाः जन योजना अभियान (जीपीडीपी)**
- **सदस्यों की उपस्थिति, निर्वाचित प्रतिनिधि एवं बैठक के लिए सरकारी कर्मी**
- **ग्राम सभा के आयोजन हेतु प्रारूप**

i. ग्राम पंचायत के सरपंच/प्रधान ग्राम सभा की बैठक के उद्देश्य के संबंध में सूचना देंगे।

ii. ग्राम पंचायत सचिव जीपीडीपी के विजन के विषय में चर्चा करेंगे।

iii.रैंकिंग पैरामीटरों एवं सुविधाकर्ताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एकत्र किए गए आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं पुष्टीकरण (यदि पूर्व ग्राम सभा में पहले से ही इसकी पुष्टि न की गई हो)

iv.ग्राम संगठनों (वीओ), स्व सहायता समूहों द्वारा गरीबी संबंधी मुद्दों एवं गरीबी उपशमन योजनाओं के संबंध में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना है।

v. ग्राम सभा द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण में पाई जाने वाली कमियों पर चर्चा की जाती है और प्राथमिकताओं को तीन वर्षों **अर्थात् अत्यंत महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता एंव वांछनीय (पंचायत सचिव द्वारा)**

vi.संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायतों को दिए जाने के लिए अनुसूची xi में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभागों से शीर्ष कामगारों द्वारा प्रस्तुतीकरण ।

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार 29 विषयों की सूची।

1. कृषि	**11.पेयजल**	**21.सांस्कृतिक क्रियाकलाप**
2. भूमि सुधार	**12.ईंधन एंव चारा**	**22.बाजार एवं मेले**
3. लघु सिंचाई	**13.सड़कें**	**23.स्वास्थ्य एंव स्वच्छता**
4. पशुपालन	**14.ग्रामीण विद्युतीकरण**	**24.परिवार कल्याण**
5. मछलीपालन	**15.गैर-पारंपरिक ऊर्जा**	**25.महिला एवं बाल विकास**
6. सामाजिक वानिकी	**16.गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम**	**26.सामाजिक कल्याण**
7. लघु वन उत्पाद	**17. शिक्षा**	**27.कमजोर वर्गों का कल्याण**
8. लघु उद्योग	**18.व्यावसायिक शिक्षा**	**28.सार्वजनिक वितरण प्रणाली**
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग	**19. वयस्क एवं गैर-औपचारिक शिक्षा**	**29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव**
10. ग्रामीण आवास	**20. पुस्तकालय**	

vii वर्तमान वर्ष के क्रियाकलाप एवं निधि के उपयोग की समीक्षा

viiiवित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान ग्राम पंचायत के लिए संभवतः उपलब्ध संसाधनों अर्थात् एफएफसी/एसएफसी/राजस्व का स्वयं का स्रोत/मनरेगा/अन्य केंद्रीय एंव राज्य योजनाएं।

ix कमियों के कारणों पर ग्राम सभा चर्चा कर सकती है और कार्यों का प्रस्ताव रख सकती है।

x निर्धारित कमियों के आधार पर, ग्राम सभा को जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे परिसंपत्ति सृजन, परिसंपत्ति रखरखाव, कम लागत/कोई लागत नहीं (उदाहरण शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए सामुदायिक एकजुटता, कोई स्कूल ड्रॉपआउट नहीं, ओडीएफ/ओडीएफ प्लस, सामाजिक समरसता, सामाजिक मुद्दों संबंधी जागरूकता इत्यादि) का निर्धारण करना होता है और प्राथमिकता देनी होती है।

xi ग्राम पंचायत को जीपीडीपी के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों को अंतिम रूप देना होता है।

xii सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफा ान के पानी की निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट-लाईटिंग, कब्रगाह एवं शमशान भूमि इत्यादि सहित केवल जल आपूर्ति, स्वच्छता जैसी बुनियादी जन सेवाओं की प्रदायगी से संबंधित क्रियाकलाप ही एफएफसी आबंटन से नियोजित किए जाने होते हैं। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अन्य स्वीकृत क्रियाकलाप भी जीपीडीपी में शामिल किए जाने हैं।

xiii ग्राम सभा विकास क्रियाकलापों की प्राथमिकतापूर्ण सूची के संबंध में प्रस्ताव पास करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

xiv ग्राम सभा के जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ को जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

xv जन सूचना बोर्ड के जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ को जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

अनुबंध-3 ग्राम सभा के दौरान शीर्ष कामगारों/संबंधित विभागों द्वारा मॉडल प्रस्तुतीकरण

ग्राम सभा के दौरान शीर्ष कामगारों/संबंधित विभागों द्वारा मॉडल संरचना का प्रस्तुतीकरण

विभाग के शीर्ष कामगार द्वारा प्रस्तुती हेतु सांकेतिक चर्चा बिंदुः

1. शीर्ष कामगार पात्रता मानदंड, योजना के अंतर्गत हकदारियों एवं वहन किए जा रहे/वहन किए जाने वाले/वहन किए गए लाभों; ग्राम पंचायत की सांकेतिक भूमिका एवं जीपीडीपी में शामिल करने सहित उस विभाग से संबंधित योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलाप	लाभार्थियों के चयन हेतु पात्रता मानदंड	योजना के अंतर्गत लाभ/हक़दारियां

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-2020) में शुरू किए गए क्रियाकलाप एवं समय सीमा सहित अभी तक की गई प्रगति

क्र. सं.	क्रियाकलाप का नाम	क्रियाकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट						
		प्रगति की स्थिति			समयसीमा		निधियों के उपयोग की स्थिति	
		पूरे किए गए क्रियाकलाप	चल रहे	शुरू नहीं किए गए	नियोजित समयसीमा	वास्तविक समयसीमा	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां

3. अगले वित्तीय वर्ष (2020-21) में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप

क्र.सं.	चल रहे क्रियाकलाप का जारी रहना	शुरू किए जाने वाले नए क्रियाकलाप	कार्य की प्रस्तावित योजना

4. ग्राम सभा के दौरान संबंधित विभागों के शीर्ष कामगारों द्वारा पंचायत सचिव को इस सूचना की प्रति हस्तांतरित की जाती है।

अनुबंध 4: गरीबी उपशमन योजना के संबंध में सुविधाकर्ताओं की मॉडल प्रस्तुती: 2020-21

सभी सदस्यों के साथ परामर्श से प्राथमिक स्तर के एसएचजी संघ/एसएचजी द्वारा तैयार किया जाना है और ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाना है

1. बुनियादी जानकारी
   क. जिले का नाम:
   ख. ब्लॉक का नाम:
   ग. ग्राम पंचायत (जीपी)/ग्राम परिषद (वीसी) का नाम :
   घ. वार्ड का नाम/वार्ड की संख्या (पंचायत निर्वाचन क्षेत्र)
   ङ. ग्राम / बस्ती का नाम
   च. प्राथमिकता का नाम
   छ. प्राथमिकता स्तरीय एसएचजी संघ में एसएचजी की संख्या
   ज. सीएलएफ/एसएलएफ में वीओ/पीएलएफ की संख्या
   झ. वीओ/पीएलएफ कार्यालय धारकों का नाम एवं फोन नम्बर

2. वर्ष 2020-21 के लिए एसएचजी की वर्तमान स्थिति एवं योजना

वर्तमान स्थिति		संख्या	सहायक संबंधित विभाग/ग्राम पंचायत	वर्ष 2020-21 के लिए योजना		संख्या	सहायक संबंधित विभाग/ग्राम पंचायत
क	वीओ/पीएलएफ अधिकार क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या			च	एसएचजी समूह के अंतर्गत लाए गए परिवारों की संख्या		
ख	एसएचजी में कवर किए गए परिवारों की संख्या			छ	ऐसे एसएचजी की संख्या जो आरएफ प्राप्त करेंगे।		
ग	मौजूदा एसएचजी की कुल संख्या			ज	ऐसे एसएचजी की कुल संख्या जो बैंक ऋण प्राप्त करेंगे		

घ	आरएफ प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या						
ड	बैंक ऋण प्राप्त करने वाले एसएचजी की कुल संख्या						

3. हक़दारी योजना

हक़दारी का प्रकार	ऐसे योग्य सदस्यों की संख्या जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं	एसएचजी का नाम (केवल तभी लागू होगा जब सदस्य एसएचजी में हो)
क. वृद्धावस्था पेंशन		
ख. विधवा पेंशन		
ग. विकलांगता पेंशन		
घ. अन्य पेंशन		
ड़. मनरेगा जॉब कार्ड		
च. आधार कार्ड		
छ. उज्ज्वला (पीएमयूवाई)		

4. आजीविका योजना

क्रियाकलाप के प्रकार के अंतर्गत कृपया आजीविका क्रियाकलापों को स्पष्ट करें 1. भूमि विभाग 2. कृषि 3. बागवानी 4. पशुपालन (डेयरी, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गीपालन, बत्तख पालन इत्यादि) 5. मछलीपालन 6. फूलों की खेती 7. हस्तशिल्प 8. लघुसिंचाई 9. कुटीर उद्योग 10. लघु उद्योग इत्यादि एवं किस तरह की सहायता आवश्यक है जैसे उर्वरक, बीज, इनपुट उपकरण, बाजार सुविधा, बोरवैल, कूलिंग प्लॉट्स, गोदाम, ड्राईंग प्लेटफार्म, मछली का जाल, सैपलिंग, सीएससी इत्यादि।

क्र.सं.	एसएचजी सदस्यों की संख्या	एसएचजी का नाम	क्रियाकलाप का प्रकार	वैयक्तिक/समूह क्रियाकलाप	अपेक्षित सहायता का प्रकार

5. वैयक्तिक अवसंरचना योजना

क्र.सं.	कार्य का नाम	विवरण	एसएचजी सदस्यों का नाम	एसएचजी का नाम
1	पशु शेड़			
2	मुर्गी शेड़			
3	एनएडीईपी गड्ढा			
4	वैयक्तिक शौचालय			
5	विद्युत			

6. सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवा योजना

क्र.सं.	कार्य का नाम	विवरण	क्र.सं.	संस्थान का नाम	आवश्यक सेवा का प्रकार
क	सड़क निर्माण		ण	पीडीएस	
ख	पेयजल सुविधा		त	एडब्ल्यूसी	
ग	सिंचाई चैनल निर्माण		थ	स्वास्थ्य-टीकाकरण, दवाईयां, संस्थागत प्रदायगी सुविधा, डिवॉर्मिंग, मच्छरदानी इत्यादि	
घ	विद्यालय (नामांकन, शिक्षक, मध्याहन भोजन, यूनिफार्म, किताबें इत्यादि		द	पशु चिकित्सा सेवा-टीकाकरण, डिवार्मिंग	
ङ	बाजार शेड/मार्केटिंग सुविधाएं				
च	सामुदायिक शौचालय				
छ	सामुदायिक कार्य शेड़				
ज	निकासी				
झ	सीवेज				
	स्ट्रीट लाईट				
ट	सामुदायिक भवन/परिसंपत्तियां				
ठ	विद्युत				
ड़	परिवहन सुविधा				
ढ़	विद्यालय/एडब्ल्यूसी भवन				

जहां उल्लिखित क्रियाकलाप सांकेतिक हैं और सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होते हैं। क्रियाकलापों का निर्धारण स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाना आवश्यक है और इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करने से पहले अपने स्वयं के स्तर पर वरीयता दिया जाना भी आवश्यक है। प्रत्येक प्राथमिक

स्तरीय संघ (वो ओ) को ग्राम सभा के समक्ष अपने सदस्यों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक के दौरान संबंधित एसएचजी संघों को इस गरीबी उपशमन योजना को प्रस्तुत करना चाहिए और ग्राम सभा में प्रत्येक क्रियाकलाप को प्राथमिकता देने के बाद इसे जीपीडीपी में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुबंध 5: जन सूचना बोर्ड का व्याख्यात्मक डिजाईन

ग्राम पंचायत........................... एलजीडी कोड..................................

ब्लॉक/तालुक........................... जिला..................... राज्य..

सरपंच का नाम.......................... गांव का नाम....................................

कुल जनसंख्या........................... अनुसूचित जाति की संख्या..................

अनुसूचित जनजाति की संख्या..............

क्र.सं.	योजना	क्रियाकलाप	निधियां	वर्ष

मिशन अंत्योदय के अनुसार मुख्य कमियां

-
-
-
-
-

अनुबंध 6: राष्ट्र स्तरीय निगरानी (एनएलएम) - 2018 पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2018 तक जन योजना अभियान जिसे 'सबकी योजना, सबका विकास' नाम से भी जाना जाता है । अभियान के दौरान संरचनात्मक ग्राम सभाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए समयसूची तैयार की गई। अभियान को पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं राज्यों के संबंधित लाईन विभागों के अभिसरण द्वारा ग्राम सभा स्तर पर आयोजना हेतु एक गहन एवं संरचनात्मक कार्य के रूप में तैयार किया गया था।

<u>एनएलएम द्वारा जन योजना अभियान की विशेष निगरानी:</u> 'जन योजना अभियान' के दौरान की गई तैयारी एवं शुरू किए गए क्रियाकलापों के मूल्यांकन हेतु जिला, ब्लॉक स्तरीय एंव ग्राम पंचायत कर्मियों के लिए निम्नलिखित के मूल्यांकन हेतु संकेतक/टूल्स/प्रश्नावली नीचे दी गई है :

- क्या राज्य द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सुविधाकर्ता नियुक्त किया गया है?
- क्या इन सुविधाकर्ता के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं?
- क्या मिशन अंत्योदय के अंतर्गत सर्वेक्षण कराने के लिए प्रक्रियाएं अपनायी गई हैं?
- क्या विशेष ग्राम सभाओं के लिए कैलेंडर को अंतिम रूप देने हेतु प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है?
- क्या दी गई समय सीमा के अनुसरण में जीपीडीपी तैयार करने का कार्य किया गया है?
- क्या अभियान के दौरान विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का मूल्याकंन किया गया है?
- क्या अंतिम रूप से प्रस्तुत की गई जीपीडीपी को तैयार करने एवं अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है?
- क्या ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड लगाया गया था?
- क्या जन योजना अभियान की प्रभाविता का मूल्यांकन किया गया है?
- क्या ग्राम पंचायतों में जन योजना अभियान के विषय में जागरूकता सृजन एवं सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए क्रियाकलाप किए गए हैं, आईईसी सामग्री का उपयोग किया गया है?
- क्या लोगों को एकजुट किया गया है और सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी), प्रशिक्षित सामाजिक लेखा-परीक्षा एवं स्व-सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को शामिल किया गया है?

कार्यप्रणाली:

प्रत्येक एजेंसी को यादृच्छिक रूप से 20 चुनिंदा ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई, सूची से 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ताकि सूची में चयनित सभी ब्लॉकों को कवर किया जा सके।

संक्षिप्त बिंदु /मुख्य उपलब्धि /रिपोर्ट:

- 48 एनएलएम एजेंसियों ने 28 राज्यों के 273 जिलों का दौरा किया। इन जिलों के 814 ब्लॉकों की कुल 2730 ग्राम पंचायतों को एनएलएम द्वारा कवर किया गया।
- एनएलएम में (8 राज्यों) संबंधित राज्य मुख्यालयों से प्राप्त निर्देशों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है।
- जन योजना अभियान के अंतर्गत 98% ग्राम पंचायतों में सुविधाकर्ता (74% पुरूष और 26% महिलाएं) नियुक्त किए गए।
- एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद ने राज्य द्वारा नामित मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है ताकि 15 सितम्बर, 2018 तक संबंधित राज्यों में प्रशिक्षण दिया जा सके।
- एनएलएम ने सूचित किया है कि उन्होंने जिन ग्राम पंचायतों का (91%) दौरा किया उसमें नामित किए गए सुविधाकर्ताओं ने अभियान के लिए आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया।
- 6 राज्यों अर्थात् बिहार, गुजरात, मणिपुर, ओड़िशा, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के किसी भी सुविधाकर्ता को प्रशिक्षण नहीं दिया गया ।
- प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त सुविधाकर्ता को प्राथमिकता आधार पर क्रियाकलाप आरम्भ करने होंगे ।
- सुविधाकर्ताओं ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण आयोजित कराने एवं प्लान प्लस पर अपलोड की गई जीपीडीपी में क्रियाकलाप कराने के साथ ही विशेष ग्राम सभा में सक्रिय भूमिका निभायी है।
- यह नोट किया गया कि कई राज्यों में सुविधाकर्ताओं को शीर्ष कामगारों के साथ समन्वयीकरण करने में सक्रिय रूप से लगाया गया है ताकि विशेष ग्राम सभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जीपीडीपी विकसित करने के लिए उनकी जानकारियां एवं अन्य प्रासांगिक विवरण एकत्र किया जा सके।
- जागरूकता की कमी के कारण, कई पीआरआई प्रतिनिधि इस अभियान के अंतर्गत परिकल्पित भागीदारीपूर्ण आयोजना एवं प्रक्रियाओं की अवधारणाओं के विषय में जागरूक नहीं थे।

❖ ऐसे कई मामले थे जहां कृषि, लघु उद्योग एवं कौशल विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों से जुड़े संबंधित विभाग ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों के संबंध में ग्राम पंचायत कर्मियों में जागरूकता भी बहुत अधिक नहीं थी।

❖ 88% ग्राम पंचायतों के संबंध में अभियान के दौरान मिशन अंत्योदय संकेतकों के आधार पर कार्य मापन किया गया।

❖ मिशन अंत्योदया सर्वेक्षण अधिकांशतः 75% दौरा किए गए ग्राम पंचायतों में कार्य की अधिकता, तैयारी, संसाधनों, अन्य मुख्य आयोजनों की कमी एवं संचार में कमी इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका।

❖ 6 राज्य (असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश) ऐसे हैं जहां मिशन अंत्योदया सर्वेक्षण समय से कराया गया।

❖ 8 राज्य (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश) ऐसे हैं जहां मिशन अंत्योदया सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अनुमोदन हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

❖ 97% ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की गई।

❖ सबकी योजना सबका विकास अभियान के दौरान अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए संरचनात्मक ग्राम सभा बैठकें बुलाई गई। यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा आयोजन के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

❖ पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों को ग्राम सभा-वार कैलेंडर तैयार करने और इसे जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विभिन्न एडवाईजरी जारी की है।

❖ तथापि, यह नोट करना उत्साहजनक है कि जन योजना अभियान के दौरान 97% ग्राम पंचायतों, में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई।

❖ जिले में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां एनएलएम के दौरों से पहले अथवा दौरान ग्राम सभा आयोजित की गई -2408 (88%)

❖ जिले में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां एनएलएम दौरे के बाद ग्राम सभा आयोजित की जानी निर्धारित की गई-240 (9%)

❖ ऐसी ग्राम पंचायतें जहां ग्राम सभा आयोजित/निर्धारित नहीं की गई 82 (3%)

❖ 98% ग्राम सभा आयोजित करने के लिए निर्धारित की गई तारीख एवं समय से संतुष्ट हैं।

❖ विशेष ग्राम सभा तारीखों को प्रकाशित करने के लिए अधिकतर सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले माध्यम हैः ड्रम बजाना (41%), घर-घर के दौरे (29%), बैनर (25%), वॉल पोस्टर/ पैम्पलेट

वितरण (26%), होर्डिंग (6%), माईक उद्घोषणाएं (46%), पद यात्रा/ रैलियां (8%), स्ट्रीट प्ले (3%) एवं अन्य माध्यम (13%) का उपयोग देश भर की ग्राम पंचायतों में किया गया ।

❖ अभियान के दौरान, यह परिकल्पना की गई कि एसएचजी भागीदारी करेगी और ग्राम सभा के समक्ष एक गरीबी उपशमन योजना प्रस्तुत करेगी जिसे विचार-विमर्श के बाद जीपीडीपी आयोजना प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। एसएचजी के कार्यालय धारकों एवं महिला एसएचजी ने अधिकाशंतः 69% ग्राम पंचायतों में भागीदारी की।

❖ शीर्ष कामगारों की विशेष ग्राम सभा में मुख्य भागीदारी - (सभी राज्य), अर्थात् स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, पेयजल, ग्रामीण आवास एवं एएच तथा इसी प्रकार अन्य।

❖ जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुधारों के लिए अपेक्षित परिदेय को जन योजना अभियान के दौरान आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में शीर्ष कामगारों द्वारा 75% ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत किए गए।

❖ देशभर की 72% ग्राम पंचायतों में महिला एवं बाल विकास में विभिन्न कार्यों को लागू करने वाले विभागों के शीर्ष कामगारों ने विशेष ग्राम सभा में भागीदारी की।

❖ 92% ग्राम पंचायतों में सरपंच/प्रधान ने विशेष ग्राम सभा में संक्षिप्त परिचय दिया ।

❖ 90% ग्राम पंचायतों में सचिव ने विशेष ग्राम सभा में जीपीडीपी के विजन को प्रस्तुत किया।

❖ 77% ग्राम पंचायतों में इसे बहुत ही व्यापक रूप से शुरू किया गया और कई स्थानों पर सूचना को ग्राम सभा फीडबैक के आधार पर अद्यतन भी किया गया।

❖ 69% ग्राम पंचायतों में जन योजना अभियान के दौरान जीपीडीपी की तैयारी के लिए विशेष ग्राम सभा में निर्धारित मुख्य कमियों और इन कमियों को दूर करने की प्रस्तावित पहलों की प्राथमिकता पर चर्चा की।

❖ 61% ग्राम पंचायतो में एसएचजी ने विशेष ग्राम सभा में गरीबी उपशमन योजना प्रस्तुत की।

❖ विशेष ग्राम सभा में, अधिकांश ग्राम पंचायतों ने वि.व. 2019-20 के दौरान संभवत: उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर चर्चा की। एफएफसी अनुदान, एसएफसी अनुदान, मनरेगा, अन्य ग्रा.वि. योजनाएं एवं स्वयं के स्रोत से राजस्व ऐसे मुख्य स्रोत थे जिन पर ग्राम सभा में चर्चा की गई।

❖ 66% ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा में स्वयं के स्रोत से राजस्व पर चर्चा की गई।

❖ यह नोट करना बहुत ही प्रेरक था कि देशभर में अधिकांशत: 80% ग्राम पंचायतों ने सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन एवं रख-रखाव एवं इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तालमेल पर चर्चा की।

- 84% ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने से संबंधित क्रियाकलापों पर विशेष ग्राम सभा में चर्चा की गई।
- 76% ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सदस्यों, शिक्षको, माता-पिता एवं पंचायतों की विभिन्न समितिय सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए स्कूल ड्रॉपआउट एवं विकेंद्रीकृत आयोजन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई।
- यह नोट किया जाता है कि ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस उद्देश्यों से संबंधित मुद्दों पर जीपीडीपी प्रक्रिया में समावेशन हेतु 83% ग्राम पंचायतों में चर्चा की गई।
- 85% ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा में बुनियादी नागरिक सेवाओं से संबंधित अन्य क्रियाकलापों पर चर्चा की गई।
- 73% ग्राम पंचायतों में जन सूचना बोर्ड लगाए गए।

अनुबंध 7: जीपीडीपी एवं लाईन समानांतर की जिम्मेदारी मैट्रिक्स

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	जीपीडीपी के अंतर्गत मुख्य परिदेय	भारत सरकार के अंतर्गत लागू योजना
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	• बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़कों से जोड़ी गई सभी योग्य बसावटें। • मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी रोजगार एवं सामुदायिक तथा वैयक्तिक स्थायी परिसंपत्तियां • सभी के लिए आवास • बैंक लिंकेज सहित एसएचजी सदस्यों के रूप में सभी वंचित परिवार • मनरेगा के अंतर्गत मिशन जल संरक्षण • वृद्ध, विधवा एवं विकलांग के लिए पेंशन • सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार आधारित एवं स्व-रोजगार कौशल • मनरेगा सहित ग्रामीण सड़कें • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	➢ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ➢ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) ➢ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ➢ दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ➢ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) ➢ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ➢ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ➢ मनरेगा एवं पीएमजीएसवाई ➢ स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), मनरेगा = मिशन अंत्योदय
2.	पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)	• ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) • निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं जीपी कर्मियों का क्षमता विकास • पीईएस आधारित ऑफिस ऑटोमेशन	➢ सबकी योजना एवं सबका विकास ➢ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) ➢ ई-प्रशासन : ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना - पंचायत उद्यम निवेदन

		उदाहरण आयोजना, निगरानी, जवाबदेही, इत्यादि एवं सार्वजनिक सेवा प्रदायगी	
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	• शत-प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थिति एवं लर्निंग परिणाम • लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक सुविधा • खेल सुविधाओं सहित पर्याप्त विद्यालय अवसंरचना • वयस्क शिक्षा	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ➢ समग्र शिक्षा ➢ समग्र शिक्षा ➢ शिक्षा का अधिकार अधिनियम ➢ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अधिकरण के अंतर्गत वयस्क शिक्षा कार्यक्रम ➢ वयस्क शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु एनजीओ के लिए सहायता योजना
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में स्वास्थ्य उप-केंद्र • स्वास्थ्य रख-रखाव योजना के अंतर्गत कवरेज • आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा • 100% टीकाकरण • 100% संस्थागत डिलीवरी • मलेरिया, टी.बी., फिलेरिया, कालाजार के लिए शत-प्रतिशत	i. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ii. कार्यक्रम हैं : • वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम • गरीब मरीज - वित्तीय सहायता • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) • प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमबीवाई) iii. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन iv. अवसंरचना रख-रखाव कार्यक्रम v. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) vi. पल्स पोलियो कार्यक्रम vii. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसके) viii. राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)
5.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	• सभी परिवारों के लिए पाईप से जुड़ा पेयजल	➢ स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण ➢ स्वच्छ भारत मिशन - शहरी

		• सभी परिवारों के लिए आईएचएचएल • ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता	➢ एनआरडीडब्ल्यूपी
6.	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	• सभी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं अधिकतम उर्वरक प्रयोग • समयानुसार एवं गुणवत्ता इनपुट - बीज, उर्वरक, पेस्टीसाईड जैविक कृषि • बागवानी • बागवानी क्षमता प्रयोग • फसल बीमा कवरेज • मूल्य श्रृंखला विकास	➢ एटीएमए ➢ एजीएमएआरकेएनईटी ➢ बागवानी ➢ ऑनलाइन पेस्टीसाईड पंजीकरण ➢ प्लांट संगरोधन मंजूरी ➢ कृषि में डीबीटी ➢ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ➢ किसान कॉल सेंटर ➢ एम किसान ➢ पीकेवीवाई के अंतर्गत जैविक खेती ➢ आरएसकेवाई
7.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	• डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन • मछलीपालन का पूर्ण क्षमता में प्रयोग • पशु संसाधनों के लिए टीकाकरण सेवाएं एवं पशु चिकित्सा देखभाल • नस्ल सुधार • मूल्य श्रृंखला विकास	➢ राष्ट्रीय गोकुल मिशन ➢ राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (एनकेबीसी) ➢ आरजीएम पुरस्कार ➢ ई पशु हाट ➢ राष्ट्रीय पुरस्कार ➢ भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी
8.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	• अनुजाति/अनु.जनजाति/अल्प संख्यको के लिए छात्रवृत्तियां • सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	➢ एनजीओ के लिए अनुदान ➢ छात्रवृत्तियां ➢ अनुजाति/अनु.जनजाति के लिए हॉस्टल

		कौशल प्रशिक्षण अथवा सामाजिक सुरक्षा • कौशल प्रशिक्षण अथवा सामाजिक सुरक्षा • साधन एवं उपकरण • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुरूष एवं स्त्री दोनों के प्रयोग में आने वाले शौचालय	➢ अनुजाति/अनु.जनजाति के लिए निशुल्कः कोचिंग ➢ ऋण संवर्द्धन गारंटी योजना ➢ अनुजाति/अनु.जनजाति के लिए विशेष केंद्र योजना ➢ मैला ढोने वालो के पुनरूद्धार के लिए स्व-रोजगार योजना
9.	वित्त मत्रांलय	• सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज • अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज • माइक्रो एटीएम के साथ बैंकिंग संवाददाता	➢ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ➢ अटल पेंशन योजना ➢ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ➢ प्रधानमंत्री जनधन योजना
10.	बिजली मंत्रालय	• सभी वंचित परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन	➢ सौभाग्य ➢ प्रधानमंत्री सहज बिजली हरघर योजना
11.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	• सभी वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस	➢ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
12.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	• खाद्य सुरक्षा	➢ ग्राम अन्न बैंक योजना
13.	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	• गैर-कृषि रोजगार अवसरों का सृजन • क्लस्टर युक्त आर्थिक क्रियाकलाप हेतु	➢ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ➢ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि

		बैंक लिंकेज • ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण • ग्रामीण बाजारों का विकास • सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर का विकास	(सीजीटीएमएसई) ➢ बाजार संवर्द्धन एवं विकास योजना (एमपीडीए) ➢ कौशल उन्नयन एवं महिला कोयर योजना (एमसीवाई) ➢ घरेलू बाजार संवर्द्धन योजना (डीएमपी) ➢ कल्याणकारी उपाय (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)) ➢ नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (एएसपीआईआरई) ➢ प्रापण एवं बाजार सहायता योजना (पी एवं एम एस) ➢ प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता (ए टी आई) ➢ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास (एमएसई-सीडीपी)
14.	खेल विभाग	• ग्राम पंचायत स्तर पर खेल क्रियाकलाप • ग्राम पंचायत स्तर पर खेल केंद्र की स्थापना	➢ खेलों में मानव संसाधन विकास योजना
15.	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	• 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत कवर की गई जनजातीय ग्राम पंचायतों के लिए केंद्रीत संसाधन सहायता उपलब्ध कराना • अनु.जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति • लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य (एमएसपी) • जनजातीय युवाओं के लिए वोकेशनल	➢ अनु.जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति ➢ अनु.जनजाति के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति ➢ पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस)(कक्षा IX एवं X) ➢ अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (पीएमएस) ➢ एकलव्य मॉडल आवासिक विद्यालय ➢ जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता ➢ जनजातीय उत्पाद के विकास एवं मार्केटिंग के लिए संस्थागत

		प्रशिक्षण केंद्र	सहायता ➢ माइनर वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य ➢ अनु.जनजाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता ➢ कम साक्षरता वाले जिलों में अनु.जनजाति की लड़कियों के मध्य शिक्षा का सुदृढ़ीकरण ➢ विशेष रूप से अभावग्रस्त जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास ➢ जनजातीय क्षेत्रों में वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र ➢ जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना ➢ अनु.जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास
16.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर का विकास • बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज • कॉल्ड श्रृंखला विकास • खाद्य प्रसंस्करण का सृजन/विस्तार/ रखरखाव क्षमताएं	➢ मेगा फूड पार्क ➢ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ➢ बैकवार्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन हेतु योजना ➢ कॉल्ड चेन ➢ खाद्य प्रसंस्करण का सृजन/विस्तार/रखरखाव क्षमताएं
17.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	• कुपोषण की समस्या का समाधान करने सहित सभी 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए पक्के आंगनवाड़ी भवन • एसईसीसी के अनुसार सभी महिला नेतृत्व वाले वंचित परिवारों के लिए पर्याप्त आजीविका विकल्प अथवा सामाजिक	➢ आंगनवाड़ी सेवा योजना ➢ पोषण अभियान ➢ वयस्क लड़कियों के लिए योजना ➢ बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना ➢ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ➢ महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता

		सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी है।	(एसटीईपी) ➢ समेकित शिशु सुरक्षा योजना
18.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	• वनीकरण • कृषि वानिकी • सामाजिक वानिकी • लघु वन उत्पाद	➢ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ➢ हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ➢ राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम ➢ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम
19.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	• सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार एवं स्व-रोजगार कौशल	➢ प्रधानमंत्री कौशल योजना (पीएमकेवाई) ➢ आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल प्राप्त करना एवं ज्ञान जागरूकता (एसएएनकेएएलपी) ➢ मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं पुरस्कार (एसटीएआर) ➢ विक्लांग व्यक्तियों को तकनीकी एवं वोकेशनल शिक्षा की मुख्य धारा में समेकित करने हेतु योजना ➢ शिक्षा का व्यवसाय उन्मुखीकरण

अनुबंध -8: आकांक्षी जिले एवं उनकी रैंकिंग

जिला	राज्य	डेल्टा	रैंक	जिला	राज्य	डेल्टा	रैंक
दाहोद	गुजरात	19.8	1	गुना	मध्य प्रदेश	8	28
पश्चिम जिला	सिक्किम	18.9	2	बरन	राजस्थान	7.7	29
रामनाथपुरम	तमिलनाडु	17.7	3	चंदेल	मणिपुर	7.6	30
विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	17.5	4	खूंटी	झारखंड	7.5	31
वाई.एस.आर.	आंध्र प्रदेश	14.9	5	फिरोजपुर	पंजाब	7.4	32
बीजापुर	छत्तीसगढ	14.7	6	गजपति	ओडिशा	7.2	33
वाशिम	महाराष्ट्र	13.8	7	पाकुर	झारखंड	6.9	34
उधम सिंह नगर	उत्तराखंड	13.7	8	कांडागांव	छत्तीसगढ	6.8	35
कोरबा	छत्तीसगढ	13.6	9	उदलगुड़ी	असम	6.8	36
विरुधुनगर	तमिलनाडु	13.1	10	राजनंदगांव	छत्तीसगढ	6.8	37
खम्मम	तेलंगाना	11.5	11	धलाई	त्रिपुरा	6.7	38
रायचूर	कर्नाटक	11.3	12	यादगीर	कर्नाटक	6.6	39
नर्मदा	गुजरात	11	13	कालाहांडी	ओडिशा	6.5	40
विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	11	14	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	6.5	41
आसिफाबाद (आदिलाबाद)	तेलंगाना	10.8	15	चंबा	हिमाचल प्रदेश	6.5	42
मोगा	पंजाब	10.7	16	गया	बिहार	6.4	43
रामगढ़	झारखंड	10.3	17	मेवात	हरयाणा	6.4	44
दंतेवाड़ा	छत्तीसगढ	9.5	18	महासमुंद	छत्तीसगढ	6.3	45
धौलपुर	राजस्थान	9.2	19	खंडवा	मध्य प्रदेश	6.1	46
चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	9.1	20	सिरोही	राजस्थान	6	47
औरंगाबाद	बिहार	9	21	जैसलमेर	राजस्थान	6	48
भुपालपल्ली	तेलंगाना	8.9	22	बारपेटा	असम	5.9	49
पूर्बी सिंहभूम	झारखंड	8.6	23	सीतामढ़ी	बिहार	5.9	50
दमोह	मध्य प्रदेश	8.5	24	बक्सा	असम	5.9	51
नामसई	अरुणाचल प्रदेश	8.3	25	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	5.7	52
किफायर	नागालैंड	8.3	26	नंदुरबार	महाराष्ट्र	5.7	53
मल्कानगिरी	ओडिशा	8.1	27	छतरपुर	मध्य प्रदेश	5.7	54

स्रोत : जून, 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट “Deep Dive Insights from Champions of change The Aspriration Districts Dashboard”

आकांक्षी जिले एवं उनकी रैंकिंग

जिला	राज्य	डेल्टा	रैंक	जिला	राज्य	डेल्टा	रैंक
बारामुला	जम्मू और कश्मीर	5.6	**55**	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	3.5	**82**
चतरा	झारखंड	5.5	**56**	बड़वानी	मध्य प्रदेश	3.2	**83**
लोहरदगा	झारखंड	5.5	**57**	राजगढ़	मध्य प्रदेश	3.2	**84**
पश्चिमी सिंहभूम	झारखंड	5.4	**58**	करौली	राजस्थान	3.2	**85**
गुमला	झारखंड	5.3	**59**	पलामू	झारखंड	3.1	**86**
अररिया	बिहार	5.2	**60**	मुजफ्फरपुर	बिहार	2.9	**87**
नारायणपुर	छत्तीसगढ	5.2	**61**	धुबरी	असम	2.9	**88**
सिंगरौली	मध्य प्रदेश	5.2	**62**	पूर्णिया	बिहार	2.9	**89**
चंदौली	उत्तर प्रदेश	5.2	**63**	कंधमाल	ओडिशा	2.8	**90**
हजारीबाग	झारखंड	5.2	**64**	शेखपुरा	बिहार	2.8	**91**
साहिबगंज	झारखंड	5.1	**65**	गोड्डा	झारखंड	2.7	**92**
ढेंकनाल	ओडिशा	5	**66**	बोकारो	झारखंड	2.6	**93**
हरिद्वार	उत्तराखंड	5	**67**	रायगढ़	ओडिशा	2.6	**94**
बस्तर	छत्तीसगढ	4.8	**68**	कटिहार	बिहार	2.5	**95**
गोलपाड़ा	असम	4.8	**69**	नवादा	बिहार	2.3	**96**
हैलाकांडी	असम	4.5	**70**	गिरिडीह	झारखंड	2.3	**97**
गढ़वा	झारखंड	4.4	**71**	नबरंगपुर	ओडिशा	2	**98**
गडचिरोली	महाराष्ट्र	4.4	**72**	जमुई	बिहार	2	**99**
दरांग	असम	4.3	**73**	सुकमा	छत्तीसगढ	1.9	**100**
श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश	4.2	**74**	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश	1.9	**101**
विदिशा	मध्य प्रदेश	4.1	**75**	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	1.5	**102**
रिभोई	मेघालय	4.1	**76**	बांका	बिहार	1.4	**103**
उत्तर बस्तर कांकेर	छत्तीसगढ	4	**77**	खगरिया	बिहार	1.4	**104**
दुमका	झारखंड	4	**78**	सिमडेगा	झारखंड	1.2	**105**
मामित	मिजोरम	3.8	**79**	रांची	झारखंड	1.2	**106**
बहराइच	उत्तर प्रदेश	3.8	**80**	बेगूसराय	बिहार	0.8	**107**
लातेहार	झारखंड	3.7	**81**	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	0.5	**108**

स्रोत : जून, 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट "Deep Dive Insights from Champions of change The Aspriration Districts Dashboard"

संक्षिप्त रूप एवं परिवर्णी शब्द

सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक
डीएसआर	स्टेटस रिपोर्ट का विकास
ईएफएमएस	इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
ईआर	निर्वाचित प्रतिनिधि
एफएफसी	चौदहवां वित्त आयोग
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीपीएफटी	ग्राम पंचायत योजना सुविधा कर्ता दल
जी एस	ग्राम सभा
मानव संसाधन	मानव संसाधन
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
एलजीडी	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एमए	मिशन अंत्योदय
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनएलएम	राष्ट्रीय स्तर की निगरानी
एन ओ	नोडल अधिकारी
एनपीएमयू	राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीईएसए	पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएमएएसवाई	प्रधान मंत्री
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमयू	प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट
पीओ	कार्यक्रम अधिकारी
पीपीसी	लोगों का योजना अभियान

पीआरए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
पंचायती राज	पंचायत राज संस्था
आरएडीपीएफआई	ग्रामीण क्षेत्र विकास और योजना निर्माण और कार्यान्वयन
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आर के वी वाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
स्वयं सहायता समूह	स्वयं सहायता समूह
अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति
केन्द्र शासित प्रदेशों	केंद्र शासित प्रदेश
वीओ	ग्राम संगठन
डब्ल्यूपीएफटी	वार्ड योजना सुविधा कर्ता दल